



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122022-241275
CG-DL-E-21122022-241275

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]	नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2022/अग्रहायण 29, 1944
No. 314]	NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2022/AGRAHAYANA 29, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2022

अंतिम जांच परिणाम

(मामला संख्या एडी (एसएसआर)-04/2022)

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मोनोइसोप्रोपाइलामाइन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/12/2022-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) को चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मोनोइसोप्रोपाइलामाइन (जिसे इसके बाद "एमआईपीए" अथवा 'संबद्ध सामान' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'पीयूसी' कहा गया है) के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने की मांग करते हुए अल्काइल एमाइन केमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' अथवा 'घरेलू उद्योग' कहा गया है) से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 14/10/2016-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी। विवादित मूल जांच में अंतिम जांच परिणाम दिनांक 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 14/46/2016-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए थे जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। दिनांक 21 मार्च, 2018 की अधिसूचना संख्या 14/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे। उक्त शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाए गए थे और 20 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले हैं।
2. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जाएगा और प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह समीक्षा करें कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
3. इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:
 "अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क, उसके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"
4. उपर्युक्तानुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करनी होती है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
5. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए और यह जांच करने के लिए कि उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 15 सितंबर, 2022 की अधिसूचना संख्या 7/12/2022-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
6. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में 12 फरवरी, 2018 के अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/46/2016-डीजीएडी और 21 मार्च, 2018 की अधिसूचना संख्या 14/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

7. इस जांच के संबंध में यहां नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्रवाई करने से पूर्व पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
 - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 15 सितंबर, 2022 को सार्वजनिक सूचना जारी की।
 - ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार घरेलू उद्योग को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराएं और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने अनुरोध दें।
 - घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को भी आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

- ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली के दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति उत्पादकों/निर्यातकों को संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों सहित उन्हें भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजीं:
- (i) ताइझोउ जियानये केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - (ii) झेजियांग जिन्हूआ केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - (iii) देझोउ डेटियन केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - (iv) ताइझोउ जियानये केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - (v) अनहुई हाओयुआन केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- छ. संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा जारी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर नहीं दिया अथवा दायर नहीं किया।
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं।
- (i) कृष्णा सोल्वेकेम लिमिटेड
 - (ii) ओसी स्पेशलिटीज प्रा. लिमिटेड
 - (iii) के रसिकलाल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
 - (iv) न्यूट्रॉन फार्मास्युटिकल्स प्रा. लिमिटेड
 - (v) मेडी फार्मा ड्रग हाउस
 - (vi) वीनस इंटरनेशनल
 - (vii) एग्रो लाइफ साइंस कॉर्पोरेशन
 - (viii) कीमो इंडिया
 - (ix) ओरियन केम प्रा. लिमिटेड
 - (x) लियो केमप्लास्ट प्रा. लिमिटेड
 - (xi) केतन केमिकल कॉर्पोरेशन
 - (xii) रत्नचंद एंड कंपनी
 - (xiii) टीएएससी केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
 - (xiv) लक्ष्मी सरस केम टेक प्रा. लिमिटेड
 - (xv) कोपरान रिसर्च लेबोरेटरीज लिमिटेड
 - (xvi) कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड
 - (xvii) इंसेक्टसाइड्स इंडिया लिमिटेड
 - (xviii) अतुल लिमिटेड
 - (xix) फ्लेमिंग लेबोरेटरीज लिमिटेड
 - (xx) एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड
 - (xxi) वरदंत लाइफ साइंसेज प्रा. लिमिटेड
 - (xxii) जय श्री रसायन उद्योग लिमिटेड
 - (xxiii) पॉलीड्रग लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड
 - (xxiv) सीटीएक्स लाइफ साइंसेज प्रा. लिमिटेड

- (xxv) आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड
- (xxvi) एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
- (xxvii) मल्लादी ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
- (xxviii) मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
- (xxix) अमरी इंडिया प्रा. लिमिटेड
- (xxx) क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्रा. लिमिटेड
- (xxxi) हेरानबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (xxxii) सैंग्रोस लेबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड
- (xxxiii) एग्रो एलाइड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

झ. निम्नलिखित प्रयोक्ताओं ने प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है: -

- (i) मेघमनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (ii) सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड

- ञ. इसके अतिरिक्त, इंसेक्टसाइड्स इंडिया लिमिटेड, क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया और एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनुरोध दायर किए हैं।
- ट. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल के माध्यम से ई-फाइल के रूप में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- ठ. चूंकि वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) द्वारा आयात आंकड़ों का लेन-देन-वार विवरण प्रदान नहीं किया जा सका, अतः प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेनदेन-वार विवरण प्रदान करने के लिए कहा। प्राधिकारी ने लेन-देन-वार आंकड़ों की उचित जांच की है तथा संबद्ध आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- ड. क्षतिरहित कीमत (जिसे यहां आगे "एनआईपी" कहा गया है) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और उपयुक्त लाभ के आधार पर निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ढ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है और इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए उस पर विश्वास किया गया है। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के परिसरों में वास्तविक सत्यापन भी किया।
- ण. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण अवधि 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच की अवधि मानी गई है।
- त. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के लिए 10 नवंबर, 2020 को मौखिक सुनवाई आयोजित की। मौखिक सुनवाई में जिन पक्षकारों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया था और उसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर अनुरोध है, तो वे दायर करने का अनुरोध किया गया था। पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने अगोपनीय अनुरोध साझा किए और उन्हें अपने खंडन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।
- थ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को

निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं।

- द. इस जांच में अनिवार्य तथ्यों वाला एक प्रकटन विवरण जो अंतिम जांच परिणामों का आधार बन सकता है, 13.12.2022 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को इस पर टिप्पणी देने के लिए 19.12.2022 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों पर उन्हें संगत पाए जाने की सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में विचार किया गया है।
- ध. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इनकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में रिकॉर्ड किया है।
- न. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और दी गई सूचनाओं पर उस सीमा तक विचार किया है जिस सीमा तक वे साक्ष्यों से समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माने गए हैं। प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के दस्तावेजों की आगे जांच करेंगे, जो अंतिम जांच परिणाम के समय निष्कर्षों के लिए आधार बनेंगे।
- प. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 75.37 रुपये है।
- फ. इस अंतिम जांच परिणाम में "****" किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अंतर्गत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

ग. विचाराधीन उत्पाद ("पीयूसी") और समान वस्तु

8. विचाराधीन उत्पाद "मोनोइसोप्रोपाइलामाइन" है, जिसे एमआईपीए के रूप में भी जाना जाता है। मोनोइसोप्रोपाइलामाइन एमाइन के रूप में एक ऑर्गेनिक कम्पाउंड है। यह एक आधार है, जैसा कि एमाइन के लिए विशिष्ट है। यह अमोनिया जैसी गंध वाला एक हाइड्रोस्कोपिक रंगहीन द्रव है।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

9. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

10. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।
 - क. चूंकि वर्तमान जांच मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा से संबंधित है, अतः विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया था।
 - ख. इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है।
 - ग. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद आयातित उत्पाद की समान वस्तु बना हुआ है।
 - घ. यह सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष 29211190 और 29211990 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत आयात किया जाता है।
 - ङ. एमआईपीए निर्जल (99.5%) रूप में उत्पादित किया जाता है। निर्जल रूप में पानी मिलाकर पतला रूप प्राप्त किया जाता है जो एमआईपीए की सांद्रता को 70% तक कम कर देता है। यह वाणिज्यिक रूप से दोनों निर्जल रूप में बेचा जाता है और 70% रूप में पतला होता है। पतला रूप प्रकृति में खतरनाक नहीं है और इसे आसानी से आयात किया जा सकता है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में परिभाषित है। मूल जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है -

"6. विचाराधीन उत्पाद "मोनोइसोप्रोपाइलामाइन" है, जिसे एमआईपीए के रूप में भी जाना जाता है। मोनोइसोप्रोपाइलामाइन एमाइन के रूप में एक ऑर्गेनिक कम्पाउंड है। यह एक आधार है, जैसा कि एमाइन के लिए विशिष्ट है। यह अमोनिया जैसी गंध वाला एक हाइड्रोस्कोपिक रंगहीन द्रव है। इसका गलनांक -95.2 °C है और इसका क्वथनांक 32.4 °C है। यह पानी के साथ मिश्रणीय है। यह -37 डिग्री सेल्सियस पर फ्लैश प्वाइंट के साथ

अत्यधिक ज्वलनशील है। एमआईपीए निर्जल (99.5%) रूप में निर्मित होता है। निर्जल रूप में पानी मिलाकर पतला रूप प्राप्त किया जाता है जहां खरीददार की आवश्यकता के अनुसार सांद्रता स्तर वांछित स्तर तक कम हो जाता है। यह अनुप्रयोग या अंतिम उपयोग के आधार पर निर्जल रूप और जलीय रूप दोनों में व्यावसायिक रूप से बेचा जाता है।

7. विचाराधीन उत्पाद के मुख्य प्रयोग ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड फॉर्मूलेशन में हैं, जो एट्राज़ीन (एक अन्य हर्बिसाइड) का एक प्रमुख घटक, प्लास्टिक के लिए एक नियामक एजेंट, कोटिंग सामग्री, प्लास्टिक, कीटनाशक, रबर रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य के कार्बनिक संश्लेषण में पेट्रोलियम उद्योग में एक योजक के रूप में "मध्यवर्ती" है।

12. विचाराधीन उत्पाद में कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड नहीं है और इसे सीमा टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष 29211190 और 29211990 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और संबद्ध जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विशिष्टियों, तकनीकी विशिष्टियों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित सामानों से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की समान वस्तु है और विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहता है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग के क्षेत्र अथवा उसके आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.2 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

15. आवेदक ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है।

ख. आवेदक ने न तो संबद्ध सामान का आयात किया है और न ही यह संबद्ध देश के किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबद्ध है।

ग. यह आवेदन पत्र नियमावली में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. यह आवेदन पत्र अल्काइल एमाइन केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक न तो संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबद्ध है और न ही नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में संबद्ध सामानों के किसी आयातक से संबद्ध है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत परिभाषित 'घरेलू उद्योग' है। यहां तक कि यद्यपि आधार की आवश्यकताएं समीक्षा जांचों पर लागू नहीं होती हैं, तथापि प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि यह आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ङ. विविध अनुरोध

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

17. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्कों का विस्तार अपवादात्मक प्रकृति का होता है जिसके लिए असाधारण स्थितियों की आवश्यकता होती है।

ख. आवेदक ने आयात आंकड़ों के स्रोत का प्रकटन नहीं किया है।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आयात के आंकड़े व्यापार मैप जैसे विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों से असंगत हैं।

- घ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि अंतिम निर्धारण के प्रयोजन के लिए केवल डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास करें और इसे प्रयोक्ता उद्योग के साथ साझा करें।
- ङ. आवेदक व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अंतर्गत आवश्यक दो अलग-अलग शीर्षों के अंतर्गत घरेलू बिक्री मात्रा के साथ-साथ बिक्री प्रदान करने में विफल रहा है।
- च. आवेदक ने व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार नियोजित पूंजी के लिए उत्पादकता, मालसूची, पीबीआईटी के लिए प्रतिशत के रूप में औसत उद्योग मानदंड से संबंधित आंकड़े नहीं दिए हैं।
- छ. आवेदक व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार आरएंडडी खर्चों, जुटाई गई धनराशि, प्रति यूनिट बिक्री की लागत (निर्यात) से संबंधित आंकड़ें देने में विफल रहा है।
- ज. आवेदक ने व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार क्षति रहित कीमत की सूचना नहीं दी है।
- झ. निर्णायक समीक्षा शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से तब जब पाटन और क्षति¹ के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना सिद्ध करने के लिए विधिवत प्रमाणित आवेदन पत्र नहीं दिया गया है, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केसोराम रेयन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी² में निर्धारित किया गया है।
- ञ. घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पूर्व समीक्षा जांच अनिवार्य रूप से शुरू करने का कोई कारण नहीं है।
- ट. आवेदक ने उल्लेख किया है कि एमाइन की खतरनाक प्रकृति के कारण आसानी से परिवहन नहीं किया जा सकता है और आयात आसान नहीं है तथा लोग उचित कीमत पर स्थानीय रूप से निर्मित एमाइन का उपयोग करना पसंद करते हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

18. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. उत्पाद को कई उत्पाद विवरणों जैसे कि मोनोइसोप्रोपाइलमाइन, मोनो आइसोप्रोपाइलमाइन, मोनो आइसो प्रोपाइल एमाइन, आइसोप्रोपाइलमाइन आदि के अंतर्गत आयात किया जाता है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे आयात आंकड़ें प्राप्त करते समय कृपया उपर्युक्त विवरणों पर विचार करें।
- ख. डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में सूचित किए गए आयातों की मात्रा न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से बल्कि संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के संबंध में भी कम सूचित की जा सकती है।
- ग. प्राधिकारी से अनुरोध है कि कृपया डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन-वार आंकड़ों पर विचार करें।
- घ. क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया और एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह सिद्ध नहीं किया है कि एसोसिएशन को इसके सदस्यों और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान जांच में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है।
- ङ. एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया में सैंटीस से अधिक सदस्य हैं और केवल सुमितामो केमिकल इंडस्ट्रीज ने भाग लिया है। इसी तरह, क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया में लगभग चालीस सदस्य हैं, लेकिन इसके केवल दो सदस्यों ने भाग लिया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच स्वयं को प्रथम दृष्टया यह संतुष्ट करने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों और सूचनाओं के आधार पर शुरू की गई थी कि पाटन और क्षति की संभावना के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, जांच की शुरुआत के बाद, आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक घरेलू उद्योग से सूचना मांगी गई है और घरेलू उद्योग द्वारा दी गई है।
20. गोपनीय सूचना के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

¹ पृष्ठ पर 78 इफ्रा नोट 2

² 11479 एसीसी ऑनलाइन दिल्ली 2017

(1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

21. प्राधिकारी ने अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराया।
22. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के दावों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा क्षति अथवा संभावना विश्लेषण के उद्देश्य से मानी गई सूचना को घरेलू उद्योग द्वारा अगोपनीय रुपांतर में उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, जहां तक उद्योग मानदंडों के तर्क का संबंध है, ये प्राधिकारी द्वारा जारी संशोधित लागत निर्धारण प्रारूपों का हिस्सा नहीं हैं। अतः यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है।
23. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7 के अनुसार ऐसे दावों की पर्याप्तता के लिए घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों और उत्तरों के भाग के रूप में दी गई गोपनीय सूचना की जांच की। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहाँ भी आवश्यक हुआ है, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है। क्षति रहित कीमत से संबंधित सूचना देने से संबंधित दावों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि वह संबंध व्यापार सूचना के अनुसार दिया गया था।
24. यह नोट किया जाता है कि जांच से संबंधित सभी हितबद्ध पक्षकारों ने डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन-वार आंकड़ों पर विचार करने का अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़े अविश्वसनीय हैं क्योंकि घरेलू उद्योग अपना स्रोत प्रदान करने में विफल रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन-वार आंकड़े प्रदान नहीं किए जा सके, अतः प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के आधार पर अपनी जांच का आधार बनाया है।

च. संबद्ध देश से पाटन की निरंतरता-

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

25. इस जांच प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।
 - क. इस तथ्य को देखते हुए कि आवेदक एक बहु-उत्पाद कंपनी है और संस्थापित क्षमता का उपयोग अन्य उत्पादों के लिए भी किया जा सकता है, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी कृपया आवेदक के लागत आवंटन को सत्यापित करें और यह सुनिश्चित करें कि अन्य उत्पादों की लागत विचाराधीन उत्पाद की लागत को प्रभावित न करे।
 - ख. 'प्रतिकूल तथ्यों' के उपयोग के संबंध में आवेदक के अनुरोधों के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि 'प्रतिकूल तथ्यों' की संकल्पना विश्व व्यापार संगठन कानून में मौजूद नहीं है।

- ग. यूनाइटेड स्टेट्स- कुछ उत्पादों³ पर पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क की एक हालिया पैनल रिपोर्ट में, यह पाया गया था कि एक निर्यातक द्वारा असहयोग के मामले में, जांच प्राधिकारी को केवल ऐसे तथ्यों पर विश्वास करना चाहिए जो 'तर्कसंगत रूप से आवश्यक सूचना का स्थान लें'।
- घ. इस तरह की सूचना को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से चुना जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि सूचना असहयोगी⁴ निर्यातक के अनुकूल हो, तथापि सूचना असहयोग को दंडित नहीं कर सकती।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

26. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।
- क. चीन जन. गण. को चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य अनुबंध-I, नियमावली के नियम 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ख. चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है। अतः, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी कृपया पाटन मार्जिन और संभावना निर्धारण के संबंध में प्रतिकूल तथ्य लागू करें।
- ग. 11 दिसंबर 2016 को, चीन अभिगम नयाचार के केवल अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान समाप्त हो गए, लेकिन अनुच्छेद 15(क)(i) के प्रावधान जारी रहे, जिसके लिए चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।
- घ. प्राधिकारी ने हाल की सभी जांचों में चीन जन. गण. को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना है जब तक कि उत्पादक/निर्यातक यह नहीं दर्शाते कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।
- ङ. देश के स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए मूल्य सूची अथवा वाणिज्यिक बीजक व्यावसायिक रूप से संवेदनशील सूचना हैं और इसीलिए सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं हैं।
- च. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने भाग नहीं लिया है, अतः पाटन के दावे निर्विवाद हैं।
- छ. यूएसए से भारी मात्रा में आयात हुए हैं और इसीलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण यूएसए से निर्यात कीमत के आधार पर किया जा सकता है।
- ज. प्राधिकारी ने यूएसए के निर्यात कीमत पर आधारित सामान्य मूल्य को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि ऐसे आयातों की मात्रा कम है। डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विचार करने से आयातों की भिन्न-भिन्न मात्रा का पता चलेगा।
- झ. वर्ष 2018-19 और 2019-20 में पाटन मार्जिन 40%-50% (यूएसए के निर्यात कीमत के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर) जितना अधिक था।
- ञ. विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में काफी कीमत अंतर है, कभी-कभी एक ही माह के भीतर 36% तक अधिक अंतर है।
- ट. चीन जन. गण. के उत्पादक किसी भी कीमत पर भारतीय बाजार में पोत भेजने के इच्छुक हैं।
- ठ. भारत में आयात के समय घोषित आयात मूल्य और निर्यात के समय चीन के बंदरगाहों पर घोषित निर्यात कीमत में काफी अंतर है।
- ड. जांच की अवधि के दौरान समुद्री भाड़ा काफी अधिक था और निर्यात कीमत की गणना में उस पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

सामान्य मूल्य

27. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य यह है:

³ पैनल रिपोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स कुछ उत्पादों पर पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क तथा उपलब्ध तथ्यों का उपयोग-, पैरा 7.28 - 7.32।

⁴ वही

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा (ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

28. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है: "जीएटीटी का अनुच्छेद-1/1, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-1/1 के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-1/1 और पाटनरोधी समझौते के अंतर्गत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(iii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण

में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे। ”

29. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि, अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है।
30. चूंकि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक ने भाग नहीं लिया है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
31. आवेदक ने इस समीक्षा जांच की शुरुआत के चरण में भारत को संबद्ध सामानों के यूएसए के निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया था। आवेदक ने आगे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों तथा उचित लाभ के लिए जोड़ने के बाद भारत में समान वस्तु के उत्पादन की लागत के आधार पर भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य को पूरक बनाया।
32. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया है और यह पाया है कि यूएसए से आयात की मात्रा आवेदक द्वारा सूचित की गई मात्रा से काफी कम है। अतः, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर चीन जन. गण. के लिए निर्मित सामान्य मूल्य पर विचार किया जिसमें बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक खर्च एवं लाभ के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि की गई। आवेदक ने दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात के सभी लेन-देन डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में नहीं दर्शाए गए हैं और लेनदेन-वार डीजीसीआईएंडएस आंकड़े प्राप्त करने का अनुरोध किया था। तथापि, लेन-देन-वार डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, प्राधिकारी आवेदक के दावों को सत्यापित नहीं कर पाए, लेकिन डीजी सिस्टम के आंकड़ें भी एक वास्तविक स्रोत हैं और तदनुसार सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर माना गया है जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों तथा लाभ के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि की गई है। थोक और पैक किए गए सामानों के लिए सामान्य मूल्य अलग-अलग निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

33. चीन जन. गण. से किसी उत्पादक/निर्यातक के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। चूंकि ये आंकड़ें सीआईएफ शर्तों पर हैं, अतः कारखानागत स्तर निकालने के लिए पर्याप्त समायोजन किए गए हैं। थोक और पैक किए गए सामानों के लिए निर्यात कीमत अलग-अलग निर्धारित की गई है। निर्धारित भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

पाटन मार्जिन

34. संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है:

क्रम सं.	विवरण	किस्म	सामान्य मूल्य अमे. डॉल./ कि. ग्रा.	निर्यात कीमत अमे. डॉल./ कि. ग्रा.	पाटन मार्जिन		
					अमे. डॉल./ कि. ग्रा.	%	रेंज
1	कोई भी उत्पादक	थोक	***	***	***	***	20-30
		पैकड	***	***	***	***	20-30
		भारित औसत	***	***	***	***	20-30

35. उपर्युक्त के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी है।
- छ. क्षति जारी रहने की संभावना - क्षति एवं कारणात्मक संपर्क की जांच
- छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :
- क. आवेदक की लाभप्रदता मूल्यहास और अन्य क्षमता विस्तार लागतों से प्रभावित हुई है। इस तरह की लागतों को जोड़ने से उत्पादन की लागत बढ़ गई है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है।
 - ख. आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट को स्वीकार किया है। उत्पादन और खपत के संबंध में आयात की मात्रा में भारी गिरावट आई है।
 - ग. घरेलू बिक्री में उत्पाद की मांग में वृद्धि से अधिक वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अन्य देशों से आयातों में वृद्धि के बावजूद अपने बाजार हिस्से का विस्तार करने में सक्षम था।
 - घ. वर्ष 2020-21 में मांग में 49 सूचकांक की वृद्धि (पिछले वर्ष की तुलना में 27 सूचकांक की वृद्धि) और अन्य देशों से आयात में 1972% की वृद्धि के बावजूद, चीन जन. गण. से आयात की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में केवल 5% की वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि इस अवधि में आवेदक का संयंत्र दो बार बंद हो चुका है।
 - ङ. इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट के बावजूद, आवेदक की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 36 सूचकांक और आधार वर्ष की तुलना में 61 सूचकांक की वृद्धि हुई है।
 - च. आवेदक 1,65,640 रु./एमटी से 1,98,768 रुपये/मी. टन पर विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करता रहा है और आवेदन पत्र के अनुसार क्षति रहित कीमत 1,50,000 रुपये/एमटी से 1,70,000 रु./एमटी की रेंज में है। अतः, घरेलू उद्योग समान वस्तु की बिक्री क्षति रहित कीमत पर कर रहा है अथवा उसे नगण्य क्षति हो रही है।
 - छ. ऐसा प्रतीत होता है कि कथित कीमत कटौती और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।
 - ज. जांच की अवधि में एनएसआर प्रति यूनिट पिछले वर्ष के समान है, तथापि, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पिछले वर्ष की तुलना में जबरदस्त उछाल आया है।
 - झ. कीमत में कोई हास नहीं हुआ है क्योंकि घरेलू उद्योग का एनएसआर उसकी बिक्री की लागत के अनुरूप है।
 - ञ. आवेदक के लिए लागत में उतार-चढ़ाव कच्ची सामग्री की उच्च लागत, वर्ष 2020-21 में संयंत्र के बंद होने और इसकी विस्तार परियोजनाओं के कारण हुई उच्च क्षमता लागत के कारण विशेष रूप से अनियमित रहा है।
 - ट. घरेलू उद्योग की उत्पादन मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है और घरेलू बिक्री में तदनुरूपी वृद्धि हुई है।
 - ठ. वर्ष 2020-21 की अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में हानि मुख्य रूप से घरेलू उद्योग द्वारा किए गए शटडाउन के कारण हुई है।
 - ड. क्षति अवधि में तीसरे देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि देखी गई है जिसने घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा ले लिया है।
 - ढ. चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा केवल 9% है जिसे घरेलू बाजार हिस्से का एक बड़ा हिस्सा नहीं माना जा सकता है।
 - ण. आवेदक ने जांच की अवधि और संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारी लाभ अर्जित किया है। जैसा कि आवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है, वर्ष 2020-21 में हुई हानि "भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता" के कारण थी।

- त. प्राधिकारी को यह आकलन करना चाहिए कि क्या 2020-21 में आवेदक द्वारा हुई हानि को विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या यदि अन्य उत्पादों के कारण हुई हानि को विचाराधीन उत्पाद में आवंटित किया गया है।
- थ. प्राधिकारी को अपनी लाभप्रदता पर आवेदक द्वारा शुरू की गई चार विस्तार परियोजनाओं के प्रभाव की जांच करनी चाहिए।
- द. आवेदक ने क्षति अवधि के दौरान अपनी नियोजित पूंजी को लगभग दुगुना कर लिया है। क्षमता विस्तार से संबंधित आवेदक की योजनाओं के कारण, इस तरह के विस्तार से संबद्ध प्रारंभिक लागतों को पूरा करने के लिए इसकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है।
- ध. दोगुनी पूंजी के बावजूद, घरेलू उद्योग ने अपने आरओसीई में वर्ष-दर-वर्ष 221% तक वृद्धि देखी है।
- न. आवेदक ने स्वीकार किया है कि उसने अपने प्रमुख उत्पादों एमाइन, उनके व्युत्पन्नों और विशेषता वाले रसायनों में मजबूत कर्षण के कारण अपनी शीर्ष पंक्ति तथा प्रचालन मार्जिन में काफी उछाल देखा है।
- प. आवेदक की एलिफैटिक एमाइन के लिए अपनी क्षमता को 400 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की योजना है। आवेदक यह भी दावा करता है कि उसके पास विश्व में एलिफैटिक एमाइन का सबसे बड़ा संयंत्र है। विचाराधीन उत्पाद भी एक एलिफैटिक एमाइन है।
- फ. आवेदक द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि से इसका निष्पादन भारी रूप से प्रभावित हुआ है।
- ब. आवेदक की मूल्यहास लागत ने स्पष्ट रूप से इसकी लाभप्रदता को प्रभावित किया है।
- भ. समान वस्तु को कम कीमत पर बेचने का आवेदक का निर्णय स्पष्ट रूप से बाजार हिस्से को आकर्षित करने का एक व्यावसायिक निर्णय है और संबद्ध आयातों से संबंधित नहीं है।
- म. संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत आवेदक की बिक्री कीमत से काफी अधिक है।
- य. घरेलू उद्योग ने कारणात्मक संपर्क सिद्ध नहीं किया है। शुल्क को जारी रखने की सिफारिश में एक ओर तो 'शुल्क की समाप्ति' और दूसरी ओर 'शुल्क की समाप्ति' और दूसरी ओर 'शुल्क के जारी रहने अथवा बार-बार होने' के बीच संबंध स्पष्ट रूप से सिद्ध होना चाहिए, ताकि 'शुल्क की समाप्ति' से 'पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने' की संभावना होगी।
- कक. विचाराधीन उत्पाद की कीमत में महत्वपूर्ण भिन्नता के संबंध में आवेदक के तर्क के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद एक संबद्ध सामान है और कीमत में उतार-चढ़ाव के अधीन है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

37. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. मार्च, 2018 में शुल्क लगाए जाने के बाद, आवेदक मूल्य और मात्रा दोनों में अपने निष्पादन में सुधार करने में सक्षम रहा है।
- ख. कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण हुए व्यवधानों ने वर्ष 2020-21 में घरेलू उद्योग के प्रचालन को प्रभावित किया।
- ग. संबद्ध देश से संबद्ध आयात अभी भी भारतीय बाजार में पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर आ रहे हैं जिसने घरेलू उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- घ. पाटित आयातों का बाजार हिस्सा काफी बना हुआ है।
- ङ. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद उत्पादन, बिक्री की मात्रा और क्षमता उपयोग के मापदंडों में सुधार हुआ है। तथापि, आवेदक का क्षमता उपयोग बहुत कम है और यह अभी भी काफी निष्क्रिय क्षमताओं के साथ कार्य कर रहा है।
- च. चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों की मात्रा में वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों के कारण ही गिरावट आई है।

- छ. शुल्क लगाए जाने के बाद, आवेदक वर्ष 2018-19 और 2019-20 में लाभ दर्ज करने में सक्षम था। आवेदक को वर्ष 2020-21 में हानियां हुईं। आवेदक द्वारा अर्जित आय कम बनी हुई है।
- ज. पूरी क्षति अवधि के दौरान आवेदक की औसत मालसूची में वृद्धि हुई है।
- झ. संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत आवेदक की बिक्री कीमत से कम है और कीमत कटौती सकारात्मक है।
- ञ. आवेदक द्वारा अर्जित वर्तमान लाभ मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण है और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध आयातों का उस पर ह्रासमान/न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा। लागू शुल्कों से यह सुनिश्चित हुआ है कि संबद्ध आयातों से आवेदक की कीमतों पर ह्रासमान अथवा न्यूनकारी प्रभाव नहीं पड़ता है।
- ट. संबद्ध सामानों की कीमतों में किसी माह विशेष में 36% की सीमा तक काफी अंतर आया है। प्रयोक्ताओं के पास निश्चित मात्रा और निश्चित कीमतों के लिए कोई संविदात्मक करार नहीं है। प्रयोक्ता कीमतों के अनुकूल होने पर आयात करते हैं।
- ठ. कुल संबद्ध आयातों (85% से अधिक और शुल्क को छोड़कर कीमत) का एक स्पष्ट अनुपात घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत से कम था जिसके परिणामस्वरूप 18% तक काफी सकारात्मक कीमत कटौती हुई।
- ड. घरेलू उद्योग अपनी क्षति रहित कीमत के बराबर भी कीमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है।
- ढ. क्षमता विस्तार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकथनों के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि वे विस्तार एलिफैटिक एमाइन संयंत्र से संबद्ध हैं जो एक पूरी तरह से भिन्न उत्पाद है। यह स्पष्ट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद ऐसे संयंत्रों पर विनिर्मित नहीं किया जा सकता।
- ण. वार्षिक रिपोर्ट में बताए गए चारों विस्तारों में से कोई भी विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा इन कारणों से कोई शुल्क नहीं लगाया गया है।
- त. लाभप्रदता में काफी वृद्धि के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में, निम्नलिखित अनुरोध किया गया है कि वर्ष 2020-21 की अवधि में कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि देखी गई और आवेदक को उत्पादन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसीलिए उसे हानि उठानी पड़ी। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि कच्ची सामग्री की कीमतों और आयातों में गिरावट आई है जिसके कारण आवेदक सकारात्मक आय दर्ज करने में सक्षम रहा है। तथापि, आवेदक की स्थिति लगातार सुभेद्य बनी हुई है।
- थ. संबद्ध देश की तुलना में गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा काफी कम है।
- द. एक ओर हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि संबद्ध देश से अधिक मात्रा और कम कीमत वाले आयातों से क्षति नहीं हो सकती लेकिन दूसरी ओर गैर-संबद्ध देशों से कम मात्रा लेकिन अधिक कीमत वाले आयात बाजार हिस्से पर कब्जा कर सकते हैं।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

38. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत में वृद्धि रोकना है जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

39. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार उनका विश्लेषण किया है।
40. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने क्षमता विस्तार किया है और इसीलिए मूल्यहास तथा ब्याज लागत अधिक होगी। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए कि घरेलू समान उत्पाद के लिए क्षमता विस्तार किया गया है, कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वास्तविक सत्यापन के दौरान उन्होंने हितबद्ध पक्षकार के दावों की जांच की और यह पाया गया कि किया जा रहा क्षमता विस्तार किसी अन्य उत्पाद के लिए उद्योग के दाहेज स्थान पर है जो विचाराधीन उत्पाद नहीं है। इस स्थल पर घरेलू समान उत्पाद का निर्माण नहीं किया जाता है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत की भी जांच की है और यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दाहेज स्थान अथवा क्षमता विस्तार से संबद्ध कोई लागत नहीं लगाई गई है।
41. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने अत्यधिक क्षमताएं स्थापित की हैं जिससे उसकी उत्पादन लागत बढ़ गई है। वास्तविक सत्यापन के दौरान घरेलू उद्योग के साथ यह मुद्दा उठाया गया था, जिसमें घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया था कि क्षमताएं भारतीय मांग और निर्यात बाजार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्थापित की गई थीं लेकिन जांच की अवधि में मांग में अत्यधिक वर्षा के कारण गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. के उत्पादकों द्वारा तीसरे देश के पाटन का भी दावा किया है, जिसने भारतीय बाजार में चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के पाटन के अलावा निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की इसकी क्षमता को प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप उसका क्षमता उपयोग कम रहा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उन्होंने उस संयंत्र की मूल्यहास लागत की जांच की है जहां विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। यह पाया गया है कि कुल बिक्री लागत में मूल्यहास के कारण लागत नगण्य है।
42. हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसका निष्पादन 'उपयुक्त रूप से अच्छा' है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने स्पष्ट किया है कि दिए गए विवरण समग्र रूप से एमाइन डिवीजन के संबंध में हैं न कि केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में। आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के साथ एमाइन डिवीजन के प्रचालन और लाभ से राजस्व की तुलना भी दी है। यह पाया गया है कि एमाइन डिवीजन स्तर पर लाभप्रदता काफी अच्छी है। तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए कि क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध लागत और लाभ पर विचार किया गया है।
43. वर्ष 2020-21 में निष्पादन के संबंध में, आवेदक द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में कच्ची सामग्री की कमी के साथ-साथ कच्ची सामग्री की कीमतों में काफी वृद्धि देखी गई। तथापि, संबद्ध देशों के साथ-साथ गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में भी काफी वृद्धि हुई थी। आवेदक को कच्ची सामग्री की कमी के कारण इस अवधि के दौरान अपने उत्पादन को रोकने के लिए भी मजबूर होना पड़ा और परिणामस्वरूप उसे हानियां हुईं।
44. घरेलू उद्योग की आयात कीमत/कीमत कटौती की प्रवृत्ति और लाभप्रदता की स्थिति के बीच सह-संबंध के बारे में अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि यद्यपि कीमत कटौती घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत और आयात कीमत का कार्य है, तथापि लाभ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत और बिक्री लागत का प्रकार्य है। यह नोट किया जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत (पाटनरोधी शुल्क को छोड़कर) घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से लगातार कम रही है।
45. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने जानबूझकर अपनी कीमतों को कम रखा है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क सहित पहुंच कीमत काफी अधिक है और घरेलू उद्योग अधिक कीमत वसूल कर सकता था। इस संबंध में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की कीमतों की तुलना में मासिक आयात कीमत का विश्लेषण किया है। यह देखा जाएगा कि इस अवधि के दौरान आयात कीमतों में अंतर है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण अपने लाभ को बढ़ाने में सक्षम था।
46. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनेक अनुरोधों को नोट करते हैं। यद्यपि प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में यथातथ्यतः अनुरोधों को हल किया गया है, तथापि घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि पाटनरोधी शुल्क के कारण उसके निष्पादन में सुधार हुआ है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पहले घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा काफी कम था और

उसे हानियां हो रही थीं। तथापि, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग अपनी बाजार हिस्से में सुधार करने में सक्षम रहा है और उसने लाभ दर्ज किया है। प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने के लिए कार्रवाई करने से पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, का आकलन करने के लिए घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों की विस्तृत जांच की है।

छ.3.1 मांग का आकलन

47. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को एकमात्र भारतीय उत्पादक की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों की मात्रा के रूप में निर्धारित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	आवेदक की घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	167	125	161
2	संबद्ध देश से आयात	मी. टन	1,834	696	2,058	529
3	अन्य देशों से आयात	मी. टन	45	317	1,649	161
4	कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	123	153	113

48. यह पाया गया है कि वर्ष 2020-21 तक विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि एमआईपीए-70% का उपयोग ग्लाइफोसेट (शाकनाशी) के निर्माण में किया जाता है जिसका उपयोग खरपतवारों को हटाने के लिए किया जाता है। ग्लाइफोसेट की मांग मौसमी प्रकृति की है और जांच की अवधि में अत्यधिक वर्षा हुई थी तथा भारत के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति थी, जिसके कारण ग्लाइफोसेट की मांग में गिरावट आई और इसके परिणामस्वरूप, विचाराधीन उत्पाद की मांग पर भी प्रभाव पड़ा।

छ.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. आयातों की मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

49. संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा के साथ-साथ अन्य देशों से आयातों के प्रभावों की प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रूप में जांच की गई है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	चीन जन. गण.	मी. टन	1,834	696	2,058	529
2	अन्य देश	मी. टन	45	317	1,649	161
3	के संबंध में संबद्ध देशों से आयात					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	22	86	18
ख	भारतीय मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	31	73	26
ग	कुल आयात	%	98%	69%	56%	77%

50. यह देखा जाता है कि:-

- क. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देश से आयातों में वर्ष 2019-20 में गिरावट आई है। वर्ष 2020-21 में संबद्ध आयातों की मात्रा बढ़ी है लेकिन जांच की अवधि में इसमें फिर से गिरावट आई है।
- ख. क्षति अवधि के दौरान गैर संबद्ध देशों से आयातों में भी वृद्धि हुई है।
- ग. हैंड सैनिटाइजर के निर्माण के लिए आईपीए के विपथन से उत्पन्न कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सीमित आपूर्ति की वजह से वर्ष 2020-21 में संबद्ध देशों के साथ-साथ गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई।
- घ. संबद्ध देश से आयातों में समग्र रूप से और जांच की अवधि में उत्पादन और खपत के संबंध में गिरावट आई है।

छ.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

51. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में तथाकथित पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हो रही है, अथवा इस तरह के आयात अन्यथा कीमतों का ह्रास करने अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए हैं, जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती।
 52. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण/ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।
- क. कीमत कटौती
53. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत की तुलना करके कीमत कटौती की गणना की गई है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	निवल बिक्री वसूली	₹/मी. टन	***	***	***	***
2	पहुंच कीमत	₹/मी. टन	1,05,231	91,809	1,34,436	1,64,967
3	कीमत कटौती	₹/मी. टन	***	***	***	***
4	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
5	कीमत कटौती	%	30-40%	30-40%	25-35%	0-10%

54. यह देखा जाता है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के निवल बिक्री वसूली से कम है जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हुई है। प्राधिकारी ने लेनदेन-वार डीजी सिस्टम आंकड़ों की जांच की है और यह पाया है कि 77% आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है।

ख. कीमत न्यूनीकरण/ह्रास

55. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का ह्रास करने के लिए है अथवा घरेलू कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होतीं, प्राधिकारी क्षति की अवधि में लागतों तथा कीमतों में परिवर्तनों को नोट करते हैं।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	बिक्रियों की लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	126	121
2	सकल बिक्री कीमत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	123	123
3	पहुँच कीमत	₹/मी. टन	1,05,231	91,809	1,34,436	1,64,967
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	128	157
4	पाटनरोधी शुल्क सहित पहुँच कीमत	₹/मी. टन	1,40,476	1,27,470	1,71,872	2,02,478
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	122	144

56. यह देखा जाता है कि पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम रही है। संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत और घरेलू उद्योग की लागत तथा बिक्री कीमत में वर्ष 2019-20 में लगभग समान दर से गिरावट आई लेकिन उसके बाद वर्ष 2020-21 में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में इसमें और वृद्धि हुई। जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत में वृद्धि घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत में हुई वृद्धि से अधिक है। यह भी देखा जाता है कि बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री लागत से मामूली अधिक है।
57. यह भी देखा जाता है संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत की कटौती कर रही है लेकिन लागू शुल्क से यह सुनिश्चित हुआ है कि ऐसे आयातों का आवेदक की कीमतों पर कोई न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव नहीं पड़ा है।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

58. नियमावली के अनुबंध-II में यह निर्धारित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमावली में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेली कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों और समस्त संगत आर्थिक मानदंडों के उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन का भी प्रावधान है। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

59. पूरी क्षति अवधि में क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री निम्नलिखितानुसार थी:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	स्थापित क्षमता - संयंत्र	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	उत्पादन - संयंत्र	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	113	143
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	113	143

4	उत्पादन – विचाराधीन उत्पाद	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	172	130	163
5	घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	167	125	161

60. यह देखा जाता है कि :-

क. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित नहीं है।

ख. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में सुधार हुआ है।

ग. घरेलू उद्योग बेकार क्षमताओं के साथ प्रचालन कर रहा है।

ख. बाजार हिस्सा

61. सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नानुसार था:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	136	82	143
2	संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	31	73	26
3	अन्य देश से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	573	2,405	319

62. यह देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और संबद्ध देश से पाटित आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। तथापि, यह देखा जाता है कि पाटित आयातों ने क्षति अवधि के दौरान काफी बाजार हिस्सा बनाए रखा है। जांच की अवधि में संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट के बावजूद, पाटित आयातों का काफी बाजार हिस्सा बना हुआ है।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

63. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ के संबंध में सूचना इस प्रकार थी:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	बिक्रियों की लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	126	121
2	बिक्री कीमत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	123	123
3	लाभ/हानि	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	(765)	782

4	लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	171	(956)	1257
5	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	197	1	272
6	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	(278)	404
7	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	52	(178)	215

64. यह देखा जाता है कि:

- क. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से आवेदक अपनी लाभप्रदता में सुधार करने में सक्षम हुआ है।
- ख. वर्ष 2019-20 में प्रति यूनिट लाभ बढ़ा है लेकिन घरेलू उद्योग को वर्ष 2020-21 में हानि हुई। यह अनुरोध किया गया है कि वर्ष 2020-21 में हुई हानि कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता और भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण हुई थी।
- ग. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है और घरेलू उद्योग ने काफी लाभ कमाया है। तथापि, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ का स्तर कम है। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा सबसे कम थी।
- घ. घरेलू उद्योग के नकद लाभ में वर्ष 2019-20 में वृद्धि हुई लेकिन वर्ष 2020-21 में गिरावट आई तथा जांच की अवधि में सुधार हुआ।
- ङ. आवेदक द्वारा अर्जित आय कम बनी हुई है लेकिन आधार वर्ष स्तर से अधिक है।

घ. मालसूची

65. मालसूची के संबंध में सूचना इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	आरंभिक मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
2	अंतिम मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
3	औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	238	493	691

66. यह देखा जाता है कि पूरी क्षति अवधि के दौरान आवेदक की औसत मालसूची में वृद्धि हुई है तथापि, चूंकि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन एक अभियान के आधार पर किया जाता है, मालसूची में वृद्धि संबंधित आयातों के कारण नहीं हो सकती है।

ड. उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी

67. क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	104	102

2	वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	165	188	170
3	प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	172	130	163
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	170	126	160

68. क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता, वेतन और मजदूरी तथा रोजगार में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने इन मानदंडों के संबंध में किसी गिरावट का दावा नहीं किया है।

च. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

69. यह देखा जाता है कि पहले किए गए निवेश पर अर्जित आरओसीई बहुत कम रहा है।

छ. पाटन मार्जिन की मात्रा

70. यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है और पाटन जारी है।

ज. वृद्धि

71. आधार वर्ष के संबंध में आवेदक की वृद्धि के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	उत्पादन	वर्ष/वर्ष	72%	-24%	25%
2	बिक्रियां	वर्ष/वर्ष	67%	-25%	29%
3	प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	वर्ष/वर्ष	2%	-847%	202%
4	मालसूची	वर्ष/वर्ष	138%	107%	40%
5	बाजार हिस्सा	वर्ष/वर्ष	36%	-40%	75%
6	कर पूर्व लाभ/(हानि)	वर्ष/वर्ष	71%	-657%	232%
7	नकद लाभ	वर्ष/वर्ष	97%	-100%	33271%
8	पीबीआईटी	वर्ष/वर्ष	-25%	-471%	245%
9	आरओआई	वर्ष/वर्ष	-48%	-443%	221%

72. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक रही है। आवेदक ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद काफी मात्रा प्राप्त की। यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2020-21 लॉकडाउन और कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण एक असामान्य वर्ष रहा। वर्ष 2019-20 की तुलना में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही।

छ.4 क्षति संबंधी निष्कर्ष

73. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर उनके प्रभाव की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद कम हुई है। आयात बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कमतर हुए हैं। तथापि, पाटनरोधी शुल्क ने सुनिश्चित किया है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत पर कोई न्यूनकारी या ह्रासकारी प्रभाव न पड़े। यह भी देखा गया है कि पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद घरेलू उद्योग अपने बाजार हिस्से में वृद्धि करने और अपने उत्पादन और बिक्री में सुधार करने में सक्षम रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग अब भी अप्रयुक्त क्षमताओं के साथ कार्य कर रहा है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग को पहले घाटा हो रहा था परंतु

अब निष्पादन में सुधार हुआ है क्योंकि वह लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर सकारात्मक आय प्राप्त करने में सक्षम रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आय अब भी कम बनी हुई है। यद्यपि संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, तथापि उनकी पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से वास्तविक रूप से कम है जिससे घरेलू उद्योग पर्याप्त लाभकारी कीमत नहीं ले पा रहा है। अतः, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग पाटन के पूर्ववर्ती खराब प्रभावों से उबर चुका है परंतु अब भी उसकी स्थिति संवेदनशील बनी हुई है।

ज. कारणात्मक संपर्क

74. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा किसी भी ज्ञात कारक की जांच करने की आवश्यकता है, जो घरेलू उद्योग को हानि पहुंचा रहे हैं अथवा क्षति होने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों के कारण पाटित आयात न हों। यद्यपि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संपर्क की पहले ही जांच की जा चुकी है, तथापि प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या होने की संभावना है। इस बात की जांच की गई कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान हो सकता है अथवा होने की संभावना है।

क. तीसरे देश से आयातों की मात्रा और कीमत

75. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से आयातों का कुल आयातों में 77% हिस्सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी से भी काफी आयात होते हैं जो कुल आयात में 23% हिस्सा रखते हैं। गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की आयात कीमत चीन जन. गण. से अधिक है और घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से अधिक है।

ख. मांग में संकुचन और/अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

76. विचाराधीन उत्पाद की मांग वर्ष 2019-20 में घटी लेकिन उसके बाद बढ़ गई। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ङ. निर्यात निष्पादन

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग निर्यात बाजार के अधीन नहीं है और इसीलिए निर्यात निष्पादन क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

च. अन्य उत्पादों का निष्पादन

प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अतः, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, का संभावित कारण नहीं हो सकता है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

80. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दी गई और जांच की अवधि के लिए प्रैक्टिसिंग एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है।

असाधारण अथवा गैर-आवर्ती खर्चों को उत्पादन लागत से अलग किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार और अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

81. पहुंच कीमत और ऊपर निर्धारित क्षति रहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रस्तावित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, थोक और पैक किए गए सामानों के लिए अलग-अलग क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है।

क्रम सं.	विवरण	किस्म	क्षति रहित कीमत अमे. डॉल./कि. ग्रा.	पहुँच कीमत अमे. डॉल./कि. ग्रा.	क्षति मार्जिन		
					अमे. डॉल./कि. ग्रा.	%	रेंज
1	कोई भी उत्पादक	थोक	***	***	***	***	0-10%
		पैकड	***	***	***	***	0-10%
		भारित औसत	***	***	***	***	0-10%

अ. पाटन और क्षति के बार-बार होने की संभावना

अ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

82. पाटन और क्षति के बार-बार होने की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं: -

- क. क्षति के बार-बार होने की संभावना 'तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए न कि केवल आरोप, अनुमान अथवा दूरस्थ संभावना' पर। इस तरह के उपायों को आवश्यक बनाने वाली परिस्थितियाँ 'स्पष्ट रूप से पूर्वाभास और आसन्न'⁵ होनी चाहिए।
- ख. जांचकर्ता प्राधिकारी को एक तर्कपूर्ण और पर्याप्त स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है कि कैसे रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य आसन्न भविष्य⁶ में उत्पन्न होने वाली क्षति की स्थिति का समर्थन करता है।
- ग. निर्णायक समीक्षा के लिए कानूनी मानक यह सिद्ध करना है कि क्या शुल्क की समाप्ति से क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी या नहीं। आयातों का अंतर्वाह अपने आप में कानून द्वारा वर्जित नहीं है।
- घ. शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि आवेदक पाटित और क्षतिकारक आयातों की संभावना नहीं दर्शाता।
- ङ. विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि के बावजूद चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों का हिस्सा नगण्य है।
- च. चीन जन. गण. में अधिशेष क्षमताओं के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे केवल 'बाजार अनुसंधान' पर आधारित नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में पूरी सूचना देनी होगी।
- छ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत लेखों में चीन जन. गण. से उत्पादकों की कुल क्षमता का उल्लेख है और यह विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए विशिष्ट नहीं है। जैसा कि स्वयं आवेदक ने उल्लेख किया है, क्षमताओं को अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए आसानी से मोड़ा जा सकता है, अतः यह स्पष्ट नहीं है कि क्षमता विस्तार योजनाओं का उपयोग केवल एमआईपीए के उत्पादन के लिए कैसे किया जा सकता है।

⁵ इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2004 एससीसी ऑनलाइन सेसटेट 2829.

⁶ पैरा 7.277 यूनाइटेड स्टेट्स इंडोनेशिया से कुछ कोटेड पेपर पर-पाटनरोधी और प्रतिकारी उपाय पैनल रिपोर्ट-, डब्ल्यूटीडी/डीएस491/आर।

- ज. आवेदक ने यूएसए की निर्यात कीमत के अनुसार निर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर तीसरे देश के पाटित और क्षतिकारक आयातों का परिकलन किया है जो एक उपयुक्त निर्धारण नहीं है।
- झ. चीन जन. गण. का कुल निर्यात इसकी कुल क्षमता का केवल 11% है और निर्यात का इतना छोटा हिस्सा इन उत्पादकों को निर्यातान्मुख नहीं बना सकता है।
- ञ. भारत को विचाराधीन उत्पाद का चीन जन. गण. का निर्यात इसके कुल निर्यात का केवल 3-4% है।
- ट. चीन जन. गण. में एमआईपीए की मांग में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि चीन का धातु क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिसने विनिर्माताओं को इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले एमआईपीए का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया है।
- ठ. वैश्विक मोनो-आइसोप्रोपेनॉल एमाइन उद्योग वर्ष 2020 में 82.2 अम. डॉलर मिलियन आंका गया था, और वर्ष 2030 तक 140.8 डॉलर मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वर्ष 2021 से वर्ष 2030⁷ तक 5.6% की सीएजीआर पर बढ़ रहा है।
- ड. वस्तु का हर विक्रेता अपने मार्जिन और लाभ को अधिकतम करने में रुचि रखता है। यदि विक्री को भारत में अधिक कीमत पर अंतरित किया जा सकता है, तो विक्रेता के पास विचाराधीन उत्पाद को काफी कम कीमतों⁸ पर बेचने का कोई कारण नहीं है।
- ढ. चीन जन. गण. के उत्पादकों के लिए सबसे बड़ा बाजार मलेशिया है जहां विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत भारत में 1.4 अमेरिकी डॉलर/किग्रा की तुलना में 1.1 अमेरिकी डॉलर/किलोग्राम है। चूंकि लगाया गया पाटनरोधी शुल्क एक निर्धारित शुल्क है, अतः चीन जन. गण. के उत्पादक बाजार के भारी भाग को लेने के लिए उच्च स्तर तक अपनी कीमतें स्पष्ट रूप से कम कर सकते थे।
- ण. वर्तमान में अन्य देशों द्वारा विचाराधीन उत्पाद पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है।

ब.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

83. पाटन और क्षति के बार-बार होने की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं: -
- क. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी संबद्ध देश के उत्पादकों द्वारा संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन जारी रहना पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना को सिद्ध करता है।
- ख. प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से निर्णायक समीक्षा शुरू करने की आवश्यकता है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या शुल्क की समाप्ति से क्षति⁹ के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
- ग. चीन जन. गण. के उत्पादक न केवल भारतीय बाजार में बल्कि अन्य देशों में भी संबद्ध सामानों का पाटन कर रहे हैं। ऐसे उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन 76% जितना अधिक है। उच्च पाटन मार्जिन यह भी दर्शाता है कि चीन जन. गण. में उत्पादकों के पास काफी अधिशेष क्षमताएं हैं।
- घ. तीसरे देशों को 80% से अधिक निर्यात भारत को निर्यात कीमत से कम है और ऐसे निर्यातों के संबंध में कीमत कटौती 28% है।
- ङ. चीन जन. गण. के उत्पादक 40 से अधिक देशों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करते हैं और प्रमुख देशों को निर्यात भारत को निर्यात कीमत से कम हैं।
- च. भारत में विविधतापूर्ण निर्यात की मात्रा घरेलू मांग का 2.5 गुना है।
- छ. तीसरे देशों को संभावित पाटित और क्षतिकारक निर्यात की मात्रा जो भारत को निर्यात कीमत से कम है, 248 प्रतिशत है।

⁷ चिदानंद बी, निकिल एम, एस्वारा पी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एनालिसिस एंड :यूज इंडस्ट्री-मोनोइसोप्रोपेनोलाइमिन मार्केट बाय एंड" इंडस्ट्री फोरकास्ट, 2021-2030" एलाइड मार्केट रिसर्च, <<https://www.alliedmarketresearch.com/monoisopropanolamine-mipa-market-A15679>> पर उपलब्ध है। पिछली बार 11 नवंबर, 2022 को एक्सेस किया गया।

⁸ चिदानंद बी, निकिल एम, एस्वारा पी मोनोइसोप्रोपेनोलाइमिन मार्केट बाय एंडग्लोबल अपॉर्चुनिटी एनालिसिस एंड इंडस्ट्री :यूज इंडस्ट्री-कास्टफोर, 2021-2030" एलाइड मार्केट रिसर्च, <<https://www.alliedmarketresearch.com/monoisopropanolamine-mipa-market-A15679>> पर उपलब्ध है। पिछली बार 11 नवंबर, 2022 को एक्सेस किया गया।

⁹ विवरण के लिए घरेलू उद्योग के अगोपनीय आवेदन पत्र का अनुबंध-घ देखें।

- ज. चीन जन. गण. में उत्पादकों के पास बहुत अधिक क्षमताएं हैं और वे विभिन्न वैश्विक बाजारों में इनका उपयोग कर रहे हैं। उत्पादकों ने सभी प्रमुख देशों को अपने बिक्री बाजार के रूप में सूचीबद्ध किया है। झेजियांग जियानये केमिकल कंपनी लिमिटेड की क्षमता 120 केटी है, अनहुइ हाओयुआन केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड की क्षमता 30 केटी है और वैश्विक स्तर पर निर्यात कर रहे हैं।
- झ. चीन जन. गण. के उत्पादक 40 से अधिक देशों को निर्यात करते आ रहे हैं। तथापि, शुल्क लगाए जाने से पहले, चीन जन. गण. से कुल निर्यात में भारतीय निर्यात का हिस्सा 17% था।
- ञ. आवेदक सीधे कीमतों के आधार पर आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। यदि शुल्कों को नहीं बढ़ाया जाता है, तो इसका आवेदक के निष्पादन पर प्रतिकूल मात्रात्मक और कीमत प्रभाव पड़ेगा तथा उसे वित्तीय हानियां, नकारात्मक आय और नकद हानियां होंगी।
- ट. चीन जन. गण. के उत्पादकों का औसत क्षमता उपयोग केवल 50% है। आवेदक ने पहले ही तर्क दिया है कि चीन जन. गण. में उत्पादकों के पास देश में मांग की तुलना में कहीं अधिक क्षमताएं हैं। जो देखने की आवश्यकता है वह चीन जन. गण. के उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटानयोग्य क्षमताओं की उपलब्धता और उनके उत्पादन के संबंध में इन उत्पादकों की निर्यातोन्मुखता है।
- ठ. कुल निर्यात में चीन जन. गण. के कम हिस्से के पीछे एकमात्र कारण मौजूदा पाटनरोधी शुल्क है।
- ड. संबद्ध देश में अधिशेष क्षमता के अभाव का दावा करने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जिस साक्ष्य पर विश्वास किया गया है, वह मोनो-आइसोप्रोपेनॉल एमाइन से संबंधित है, जो एक पूरी तरह से भिन्न उत्पाद है।
- ढ. प्रयोक्ता उद्योग ने अपने दावों के लिए गैर-सम्बद्ध रिपोर्टों पर विश्वास किया है। यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री सामने नहीं लाई गई है कि चीन जन. गण. में एमआईपीए की मांग बढ़ने की उम्मीद है।
- ण. आवेदक ने कम कार्बन फैटी एमाइन (जिसमें विचाराधीन उत्पाद शामिल है) के लिए झेजियान जियानये द्वारा शुरू की जाने वाली क्षमता विस्तार योजनाओं से संबंधित साक्ष्य प्रदान किया है।
- त. मलेशिया को कम कीमत वाले आयातों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि भारत एक कीमत आकर्षक बाजार है और संबद्ध देश के उत्पादक पाटनरोधी शुल्क के अभाव में भारत को अपने निर्यातों भेजेंगे।
- थ. घरेलू उद्योग के शीर्ष स्तर और प्रचालन मार्जिन में उछाल के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि विवरण एसीटोनिट्राइल एमाइन और मेथनॉल एमाइन से संबंधित हैं, जिनकी कच्चा सामग्री विचाराधीन उत्पाद से पूरी तरह भिन्न है।
- द. कुल राजस्व में विचाराधीन उत्पाद का योगदान अन्य क्षेत्रों की तुलना में मामूली रहा है।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

84. वर्तमान जांच चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाए गए शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत, प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
85. प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 और नियमावली के अनुबंध-II(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों में निर्धारित अपेक्षा तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच की है।
86. इस तरह का संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में, अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का प्रावधान है जो क्षति के खतरे के लिए संगत हैं और उन्हीं कारकों का उपयोग निर्णायक समीक्षा में संभावना विश्लेषण के लिए भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ये संभावना के निर्धारण के लिए संगत मापदंडों की गैर-व्यापक सूची है:
 - क. भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दर जो कि पर्याप्त रूप से बड़े हुए आयात की संभावना को दर्शाती है;
 - ख. किसी भी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों में पर्याप्त रूप से बड़े हुए पाटित निर्यात की संभावना को दर्शाते हुए, निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटानयोग्य, अथवा आसन्न, पर्याप्त वृद्धि;

- ग. क्या आयात कम कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव होगा, और संभावित रूप से आगे के आयातों की मांग बढ़ेगी; तथा
- घ. वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही है।
87. प्राधिकारी ने उपर्युक्त सूचीबद्ध मानदंडों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के आकलन से संगत विभिन्न संकेतकों की जांच की है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अन्य संगत कारकों की भी जांच की है जो घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना पर असर डाल सकते हैं।
88. घरेलू उद्योग ने यह उपलब्ध कराया है कि भले ही विचाराधीन उत्पाद का भारत में समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है, फिर भी चीन जन. गण. में इसका एक समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण है। आवेदक ने दावा किया है कि उत्पाद कोड 29211920 के अंतर्गत निर्यात किया जाता है। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा माना गया कोड आइसोप्रोपिल एमाइन के लिए है जिसके बारे में आवेदक ने दावा किया है कि यह विचाराधीन उत्पाद का दूसरा नाम है। चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और यहां तक कि भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों ने भी घरेलू उद्योग के इस दावे पर विवाद नहीं किया है, अतः प्राधिकारी ने अन्य देशों को निर्यात की प्रवृत्ति की जांच करने के लिए 29211920 के व्यापार आंकड़ों पर विचार किया है।
89. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. में विचाराधीन उत्पाद की मांग काफी बढ़ने की उम्मीद है और इसीलिए चीन जन. गण. के उत्पादक भारत को अधिशेष उत्पादन नहीं भेजेंगे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य मोनोइसोप्रोपेनोलैमाइन से संबंधित हैं जो कि विचाराधीन उत्पाद नहीं है।
- अ.3.1 काफी बढ़े हुए आयात की संभावना दर्शाते हुए भारत में वर्तमान पाटित आयातों का स्तर**
90. आयात में वृद्धि की दर की जांच करने के लिए, जो आगे और वृद्धि की संभावना का संकेत दर्शा सकती है, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा की प्रवृत्ति की संपूर्ण रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में जांच की है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	चीन जन. गण.	मी. टन	1,834	696	2,058	529
2	के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
ख	भारतीय मांग	%	***	***	***	***
ग	कुल आयात	%	98%	69%	56%	77%

91. यह देखा जाता है कि वर्ष 2019-20 में चीन जन. गण. से आयात की मात्रा में गिरावट आई है लेकिन वर्ष 2020-21 में इसमें भारी वृद्धि दर्ज की गई है। जांच की अवधि में आयातों की मात्रा में फिर से गिरावट आई है। संबद्ध देश से आयातों का देश में मांग में काफी हिस्सा बना हुआ है।

अ.3.2 क्या आयात उन कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण प्रभाव होगा और आगे के आयातों के लिए मांग में वृद्धि की संभावना होगी

92. प्राधिकारी ने जांच की अवधि में आयातों, उत्पादन लागत और घरेलू उद्योग की विक्री कीमत पर विचार किया है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या आयातों का घरेलू कीमतों पर न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव पड़ने की संभावना है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
1	बिक्रियों की लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	126	121
2	बिक्री कीमत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	123	123
3	पहुँच कीमत	₹/मी. टन	1,05,231	91,809	1,34,436	1,64,967
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	128	157

93. यह देखा जाता है कि संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम रही है। प्राधिकारी ने लेन-देन-वार डीजी सिस्टम के आंकड़ों की भी जांच की है और यह पाया है कि 77% आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हैं और 76% आयात घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारक कीमत से कम हैं।
94. स्थल सत्यापन के दौरान, घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रयोक्ता उद्योग को चीन जन. गण. के उत्पादकों द्वारा पेश की गई काफी कम कीमत दर्शाते हुए उद्धरणों का साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है। यह नोट किया जाता है कि ये कीमतें घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क नहीं बढ़ाया जाता है, तो आयात लागत के साथ-साथ घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत को कम कर देगा, इस प्रकार, यह दर्शाता है कि आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर दमनकारी/निराशाजनक प्रभाव पड़ने की संभावना है यदि वहाँ कोई एंटी-डंपिंग शुल्क लागू नहीं है।

अ.3.3 काफी अधिक क्षमताएं और क्षमता विस्तार

95. घरेलू उद्योग ने यह साक्ष्य दिया है कि चीन जन. गण. में एक उत्पादक झेजियांग जियान्ये लो-फैटी एमाइन के लिए अपनी क्षमता 25,000 मी. टन तक बढ़ा रहा है जिसमें विचाराधीन उत्पाद शामिल है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वैश्विक स्तर पर सभी एलिफैटिक एमाइन उत्पादक कम बसा वाले एमाइन के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करते हैं और प्रमुख रूप से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करते हैं।

अ.3.4 तीसरे देश का पाटन

96. तीसरे देश के पाटन के संबंध में सूचना नीचे दी गई है।

क्रम सं.	तीसरे देश को पाटित निर्यात	तीसरे देश को कुल निर्यात	पाटित निर्यातों का %	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज
1	16,743 मी. टन	16,885 मी. टन	99%	74%	70 - 80

स्रोत - ट्रेडमैप आंकड़ों के अनुसार चीन जन. गण. से निर्यात।

97. यह देखा जाता है कि तीसरे देशों को संपूर्ण निर्यात पाटित कीमतों पर है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा जाता है कि पाटन मार्जिन 76% है।

अ.3.5 तीसरे देश से क्षतिकारक निर्यात

98. तीसरे देश के क्षतिकारक निर्यात के संबंध में सूचना नीचे दी गई है।

क्रम सं.	क्षति रहित कीमत से कम पर अन्य देशों को निर्यात	तीसरे देश को कुल निर्यात	क्षतिकारक निर्यातों का %	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन रेंज
1	16638मी. टन	16,885 मी. टन	99%	52%	50-60

99. यह देखा जाता है कि तीसरे देशों को लगभग संपूर्ण निर्यात भारत में क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर होता है। इन निर्यातों के संबंध में क्षति मार्जिन 60% है।

अ.3.6 कीमत आकर्षकता

100. चीन जन. गण. से भारत और चीन जन. गण. से तीसरे देशों को निर्यात कीमत के बीच तुलना नीचे दी गई है:

क्रम सं.	माह	भारत को कीमत रु./कि. ग्रा.	अन्य देशों को कीमत रु./कि. ग्रा.	अंतर रु./कि. ग्रा.
1	2021-एम04	94.47	99.09	-4.62
2	2021- एम 05	104.07	101.64	2.43
3	2021- एम 06	114.32	92.96	21.36
4	2021- एम 07	91.72	84.97	6.75
5	2021- एम 08	136.7	87.9	48.8
6	2021- एम 09	98.99	75.75	23.24
7	2021- एम 10	0	83.18	-
8	2021- एम 11	136.88	89.53	47.35
9	2021- एम 12	129.77	104.45	25.31
10	2022- एम 01	138.56	95.1	43.47
11	2022- एम 02	142.16	97.84	44.32
12	2022- एम 03	106.03	110.81	-4.79
13	कुल	104.6	93.19	11.41

स्रोत: ट्रेडमैप डाटा

101. यह देखा जाता है कि अन्य देशों को संबद्ध सामानों की औसत निर्यात कीमत भारत में उनकी निर्यात कीमत से कम है। जो दर्शाता है कि भारतीय बाजार बेहतर कीमतों की पेशकश करता है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने चीन जन गण से भारत को संबद्ध वस्तुओं के मासिक औसत निर्यात मूल्य की तुलना चीन गण . यह देखा गया है कि तीसरे देशों को 82% निर्यात भारत की निर्यात कीमत से कम कीमत पर होता है। यह देखा गया है कि तीसरे देशों को 82% निर्यात भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर होता है जो यह दर्शाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटा दिया जाता है तो संबद्ध वस्तुओं के निर्यात को भारत में मोड़ने की प्रबल संभावना है।

अ.4 क्षति की संभावना संबंधी निष्कर्ष

102. क्षति की संभावना संबंधी मानदंडों की जांच दर्शाती है कि संबद्ध देशों से आयात लागत से काफी कम हैं और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से भी कम हैं। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के अभाव में संबद्ध देश से संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव पड़ा था। यह भी देखा गया है कि यदि घरेलू उद्योग आयात कीमत के साथ अपनी कीमतें बराबर करने को बाध्य होता है तो वह बिक्री कीमत उसकी उत्पादन लागत से वास्तव में कम होगी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह तथ्य कि चीन जन.गण. से उत्पादक क्षमता में विस्तार कर रहे हैं और यह कि चीन जन.गण. से तीसरे देशों को निर्यात ऐसी कीमत पर हो रहा है जो भारत को निर्यात कीमत से कम है, यह सिद्ध करता है कि भारत को आयातों में वृद्धि की संभावना है। इसके अलावा, यह तथ्य कि चीन के उत्पादक तीसरे देशों को पाटित कीमतों पर वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, चीन जन.गण. से उत्पादकों द्वारा अपनाए गए बाजार कब्जाने के कीमत

निर्धारण को दर्शाता है। अतः, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि यदि शुल्क हटाया जाता है तो पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना है।

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

103. जांच प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. विकल्पों का अभाव एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए नहीं बनता है तथा इसके परिणामस्वरूप निचले स्तर के उत्पादकों को केवल आवेदक पर निर्भर रहना पड़ेगा।
- ख. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से निचले स्तर के उत्पाद के आयात में काफी वृद्धि हुई है।
- ग. आवेदक के दावों में कोई संगतता नहीं है। यद्यपि एमआईपीए की खपत को ग्लाइफोसेट के लीटर में दर्शाया गया है, तथापि किलोग्राम के संदर्भ में प्रभाव का आकलन किया गया है।
- घ. आवेदक द्वारा परिकलित प्रभाव गलत है। निचले स्तर के उत्पादों के लिए आवेदन पत्र में उल्लिखित कीमतें गलत हैं और साक्ष्य से सिद्ध नहीं की गई हैं।
- ङ. पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से आम आदमी के लिए भोजन की दैनिक लागत अधिक महंगी होने और देश में खाद्य सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना है।
- च. निचले स्तर के उद्योग का उत्पादों का उपयोग लाखों किसानों द्वारा किया जाता है। लागत में तेज वृद्धि से कई आजीविकाओं के प्रभावित होने की संभावना है और 'आत्मानिर्भर भारत' के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है।
- छ. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से निचले स्तर के उत्पाद अट्राजीन टेक्रिकल के आयात में काफी वृद्धि हुई है।
- ज. आवेदक देश में एमआईपीए का एकमात्र उत्पादक है और हर गुजरते वर्ष के साथ इसका हिस्सा बढ़ रहा है। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी।
- झ. घरेलू उद्योग के संयंत्र के बंद होने से आपूर्ति श्रृंखला में, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारी बाधाएं आईं। आपूर्ति श्रृंखला को ऐसी बाधाओं से जोखिम मुक्त करने के लिए, निचले स्तर के प्रयोक्ताओं ने आपूर्ति के एक से अधिक स्रोत पर विश्वास करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
- ञ. आवेदक द्वारा परिकलित किए गए प्रतिकूल कीमत प्रभाव के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदक ने कीमत कटौती का परिकलन केवल सकारात्मक लेनदेन के आधार पर किया है जो कि शून्य करने के समान है, एक ऐसी परिपाटी जिसे पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार का उल्लंघन माना गया है।
- ट. प्रयोक्ता आवेदक द्वारा घटती कीमतों और पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने के बीच के संबंध को समझने में विफल रहते हैं।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

104. जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. प्राधिकारी ने शुरूआती चरण में ही सभी हितबद्ध पक्षकारों को आर्थिक हितबद्ध प्रश्नावली उपलब्ध कराई है। तथापि, प्रयोक्ता उद्योग ने संगत सूचना दायर नहीं की है।
- ख. संगत सूचना प्रदान करने में प्रयोक्ता उद्योग की विफलता का अर्थ है कि पाटनरोधी शुल्क के विस्तार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ग. चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों की आयात कीमतों में उतार-चढ़ाव आया है जो जांच की अवधि में 124 रु./किग्रा से 230 रु./किग्रा. तक है। जब सामानों की कीमत में इस तरह के महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव का प्रयोक्ता उद्योग पर काफी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, तो पाटनरोधी शुल्क का प्रयोक्ता उद्योग पर शायद ही कोई काफी प्रभाव पड़ा हो।
- घ. एटेनोलोल की कच्ची सामग्री की लागत में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा 20% है, ग्लाइफोसेट में 11% है और एट्राजीन टेक 97% में 22% है।

- ड. एटेनोलोल की कीमत में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा 0.11% है, ग्लाइफोसेट में 4% है और एट्राज़ीन टेक 97% में 7.4% है।
- च. अंतिम उत्पाद ग्लाइफोसेट 41% पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 0.90%, एटेनोलोल (10 कैप) पर 0.08% है और एट्राज़ीन 50% डब्ल्यूपी पर 1.58% है।
- छ. भाग लेने वाले प्रयोक्ता उद्योग एट्राज़ीन टेक्निकल के उत्पादक हैं, जो अब चीन जन. गण. से एट्राज़ीन के आयात पर लगाए गए प्रतिकारी शुल्क के लाभ से संरक्षित हैं।
- ज. आवेदक का संयंत्र केवल विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए पूरी तरह से उसके लिए नहीं है और उस पर अन्य उत्पादों का विनिर्माण किया जा सकता है। निरंतर प्रतिकूल प्रभाव से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन रुक सकता है क्योंकि आवेदक को अन्य उत्पादों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
- झ. आवेदक के पास क्षमता भारत में पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है तथा कोई मांग और आपूर्ति अंतराल नहीं है। *** मीट्रिक टन की मांग की तुलना में, आवेदक के पास *** मीट्रिक टन की क्षमता है।
- ञ. संयुक्त राज्य अमेरिका से भी विचाराधीन उत्पाद का काफी आयात हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
- ट. वर्तमान पाटनरोधी शुल्क से आयात प्रतिबंधित नहीं हुए। आयात अभी भी काफी मात्रा में हैं।
- ठ. आयात की मात्रा में एकमात्र वर्ष 2020-21 में तेज वृद्धि देखी गई। तथापि, वर्ष 2021-22 में आयात में गिरावट आई और अप्रैल से सितंबर, 2022 की अवधि में इसमें और तेजी से गिरावट आई है।
- ड. यदि प्रयोक्ता उद्योग को आयातित सामग्री पर निर्भर रहना पड़ता है तो उसे उच्च स्तर की मालसूची बनाए रखनी होगी। यदि प्रयोक्ता उद्योग घरेलू उद्योग से खरीद करता है तो मालसूची को कम किया जा सकता है।
- ढ. प्रयोक्ता उद्योग की अर्थक्षमता पाटित कीमतों पर कच्ची सामग्री की पहुंच पर निर्भर नहीं हो सकती है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

105. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान की जा सके, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल हैं। प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, उपभोक्ताओं की स्रोतों में जाने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से आई नई स्थिति में समायोजन में विलंब अथवा उसके बढ़ाने की संभावना वाले कारकों के बारे में सूचना मांगी।
106. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हितबद्ध प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस समीक्षा जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। घरेलू उद्योग के साथ-साथ प्रयोक्ता उद्योग दोनों ने आर्थिक हितबद्ध प्रश्नावली में मांगी गई सूचना प्रदान की है। आवेदक ने अपनी आर्थिक हितबद्ध प्रश्नावली में घरेलू उद्योग के साथ-साथ प्रयोक्ता उद्योग से संबद्ध सूचना दी है।
107. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्य रूप से, पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने से संबद्ध सामानों के साथ-साथ भारत में संबद्ध सामानों का उपयोग करके विनिर्मित अन्य निचले स्तर के उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों को लागू करने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को जारी रखने से घरेलू उद्योग की गिरावट रुकेगी जो संबद्ध देश से कम कीमत वाले संबद्ध आयातों के परिणामस्वरूप हो सकता है और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
108. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के साथ-साथ निचले स्तर के उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का प्रभाव बताया है। यद्यपि निचले स्तर के उद्योग ने अपनी लागत और बिक्री कीमत पर पाटनरोधी शुल्क

का प्रभाव बताया है, तथापि घरेलू उद्योग ने अंतिम अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बताया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और निचले स्तर के उद्योग दोनों द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच की है।

109. निचले स्तर के उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क के अपने प्रभाव में पाटनरोधी शुल्क की अवशिष्ट राशि पर विचार किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब मूल जांच के सहयोगी उत्पादकों से लगातार आयात होते रहे हैं तो घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क की शेष राशि वसूल करने में सक्षम नहीं होगा। अतः, उत्पाद की कीमत में कोई वृद्धि अथवा कमी पाटनरोधी शुल्क की उच्चतम राशि से नहीं हुई होगी। यह भी देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की न्यूनतम राशि पर विचार करने के बाद घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत आयातों की पहुंच कीमत से कम है जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों में पूरी शुल्क राशि नहीं ली है। अतः, पाटनरोधी शुल्क को शुल्क की शेष दर के बराबर मानना उचित नहीं होगा। फिर भी, प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों पर पाटनरोधी शुल्क तथा शेष निर्यातकों पर पाटनरोधी शुल्क को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव का भी विश्लेषण किया है।
110. प्राधिकारी ने निचले स्तर के उद्योग की लागत पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच की। यह देखा जाता है कि समान उत्पाद के लिए भाग लेने वाले निचले स्तर के प्रयोक्ताओं द्वारा दावा की गई परिवर्तन लागत वास्तविक रूप से भिन्न है और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अतः, निचले स्तर के उद्योग की लागत पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को निचले स्तर के उद्योग द्वारा प्रदान की गई परिवर्तन लागत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तथापि, घरेलू उद्योग ने निचले स्तर के उत्पादों की कीमतों के आधार पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव प्रदान किया है। प्रयोक्ता उद्योग द्वारा दिए गए ग्लाइफोसेट 41% और एट्राज़ीन टेक्निकल के प्रति यूनिट उत्पादन में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा क्रमशः 0.17 किलोग्राम और 0.39 किलोग्राम है।
111. प्रदान किए गए निचले स्तर के उत्पादों की कीमतों पर विचार करते हुए, निचले स्तर के उद्योग द्वारा दिए गए औसत खपत मानदंड और लगाए गए सबसे कम पाटनरोधी शुल्क में, यह देखा जाता है कि निचले स्तर के उद्योग की कीमतों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव लगभग 2% से 3% है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की भी जांच की है जो एट्राज़ीन के लिए लगभग 1.5% से 2%, ग्लाइफोसेट के लिए 0.09% और एटेनोलोल के लिए 0.08% पाया गया है।
112. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तुओं की अनुपलब्धता नहीं होगी। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित नहीं करेगा क्योंकि आयात 2018 में शुल्क लगाने के बाद भी जारी रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि गैर संबद्ध देशों से काफी आयात होते हैं और देश में मांग आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है और घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।
113. प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पाद की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू उद्योग भी उचित कीमतों पर व्यवहार्य रहे, ऐसा नहीं होने पर प्रयोक्ता निरंतर पाटित आयातों पर निर्भर हो जाएंगे।

ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

114. प्रकटन विवरण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड ने विधिवत् रूप से लिखित अनुरोध और खंडन प्रस्तुत किया है परंतु प्रकटन विवरण में उसका नाम शामिल नहीं है।
 - ख. प्राधिकारी ने वह तरीका नहीं बताया है जिससे घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना सं. 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।
 - ग. प्राधिकारी यह बताने में विफल रहे हैं कि वर्तमान स्थिति शुल्क का समय बढ़ाने के लिए असाधारण कैसे है जबकि घरेलू उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति की है।
 - घ. प्रयोक्ताओं ने अतिरिक्त और अप्रयुक्त क्षमताओं के लिए घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा की गई सूचना की असंगतता पर अविश्वसनीयता के उदाहरण दिए हैं। प्राधिकारी ने इसके संबंध में प्रयोक्ता के किसी तर्क का समाधान नहीं किया है।

- ड. निर्दिष्ट प्राधिकारी एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बंधे हुए हैं जिनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए सभी पक्षों के तर्कों का समाधान करना और एक तर्कसंगत क्रम बताना अपेक्षित है।
- च. प्राधिकारी से लागत आबंटन और आवेदक की विस्तार परियोजना का उनकी लागत पर प्रभाव का सत्यापन करने का अनुरोध किया जाता है।
- छ. घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार कुरुकुम्भ और पातालगंगा संयंत्रों तथा डाहेज स्थान के अलावा अन्य स्थानों पर तीन विस्तार परियोजनाएं चल रही हैं।
- ज. घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार सभी एलिफैटिक अमाइंस के लिए है और विचाराधीन उत्पाद भी एक एलिफैटिक अमाइन है। यह संभव है कि यद्यपि संयंत्र को विशेष रूप से पीयूसी के लिए स्थापित नहीं किया जा रहा हो, तथापि इस संयंत्र को पीयूसी के उत्पादन के लिए प्रयोग करने की संभावना हो सकती है।
- झ. यह प्रयोक्ताओं का अनुरोध नहीं था कि घरेलू उद्योग के पास 'अधिशेष' क्षमताएं हैं परंतु इसके बजाए क्षमता विस्तार के कारण लागत में वृद्धि हुई है।
- ञ. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 2020-21 में मंदी के वर्ष के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में लगभग 55 प्रतिशत बढ़ा है।
- ट. वर्ष 2020-21 में पीयूसी की मांग में वृद्धि हुई है परंतु घरेलू उद्योग का संयंत्र बंद हो गया था और वह मांग को स्वतंत्र रूप से पूरा करने में असमर्थ था। इसकी वजह से गैर-संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में 2020-21 में अधिकांशतः वृद्धि हुई थी।
- ठ. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उनके व्यापार पर संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव पड़ा है और उसकी लाभप्रदता की तुलना कीमत कटौती से करना महत्वपूर्ण हो जाता है। कथित कीमत कटौती और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।
- ड. संबद्ध वस्तु की कीमतें तब अधिक हैं जब उन्हें अग्रिम प्राधिकारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यमों से आयात किया जाता है। चूंकि अग्रिम प्राधिकार, एसईजेड, ईओयू आदि जैसे कार्यक्रमों में आयातकों के लिए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है, इसलिए चीन के निर्यातक उच्चतर कीमत पर उत्पाद बेचने की स्थिति में हैं।
- ढ. घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने की स्थिति में था परंतु उसने कम कीमत पर बिक्री का विकल्प चुना। यथा-परिकलित कम कीमत पर बिक्री और कीमत कटौती, दोनों 0-10 प्रतिशत के बीच हैं।
- ण. पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए और आयातों के साथ उसे समान अवसर देने के लिए लगाया जाता है। वर्तमान स्थिति में घरेलू उद्योग ने अपनी वृद्धि और लाभों को बढ़ाया है।
- त. ग्लाइफोसेट की मांग में क्षति अवधि के दौरान कम या कोई कटौती नहीं हुई है। यद्यपि अधिकांश कृषि रसायन उत्पाद मौसमी प्रकृति के हैं, तथापि ग्लाइफोसेट को वर्ष भर निरंतर उपभोग किया जाता है।
- थ. शुल्क मुक्त आयात अन्य आयातों से अधिक कीमत पर आयातित थे और अधिकांश आयात इन स्कीमों के जरिए किए गए हैं। पाटनरोधी शुल्क लगभग अनावश्यक है। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग ने अपने आर्थिक मापदंडों में जबरदस्त सुधार किया है।
- द. प्राधिकारी को समग्र आकलन के लिए पाटनरोधी शुल्क मुक्त आयातों के कीमत प्रभाव का आकलन करना चाहिए।
- ध. घरेलू उद्योग त्रुटिपूर्ण लागत अस्थिरता से ग्रस्त है जिसके कारण 2020-21 में कच्ची सामग्री की अधिक लागत, संयंत्र बंद होना और उच्च क्षमता लागत रही है। इसके बावजूद, वह निरंतर कीमतों को नियंत्रित करने में समर्थ रहा है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को कोई कीमत क्षति नहीं हुई है।
- न. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां उत्पादन के साथ-साथ बढ़ी हैं। चूंकि संयंत्र पीयूसी के लिए समर्पित नहीं है, इसलिए अप्रयुक्त क्षमताओं के लिए अन्य उत्पादों का निष्पादन जिम्मेदार हो सकता है।
- प. चीन के आयातों के 10 प्रतिशत बाजार हिस्से को अधिक नहीं माना जा सकता है जबकि एकमात्र घरेलू उद्योग के पास 85 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सा है।
- फ. घरेलू बिक्रियों, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में वृद्धि तथा संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट के साथ घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि का कोई कारण नहीं हो सकता है।

- ब. पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 11.3 प्राधिकारी के लिए यह निर्धारण करना आवश्यक बनाता है कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी। यह बात स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए।
- भ. प्राधिकारी ने भारत को भेजे जाने के लिए चीन के आयातों की कम संभावना से संबंधित प्रयोक्ताओं के मुख्य तर्क की अनदेखी की है क्योंकि चीन के उत्पादक कीमत से इतर कारकों के लिए भारत को बिक्री करने में कार्यानीतिक रूप से इच्छुक प्रतीत नहीं होते हैं।
- म. चीन के निर्यातों का एक बड़ा हिस्सा भारत से कम कीमत पर है। चीन भारत के लिए कीमतों को और घटा सकता था परंतु उसने ऐसा नहीं किया।
- य. चीन में भी पीयूसी की मांग में वृद्धि दर्शाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए, उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है और ग्लाइफोसेट जैसे उत्पादों में नए निवेश किए गए हैं, जो पीयूसी का एक डाउनस्ट्रीम उत्पाद है। यह आशा है कि चीन में जेनेटिकली मोडिफाइड फसलों की शुरुआत के साथ ग्लाइफोसेट की मांग में लगभग 150,000 टन की वृद्धि हो सकती है।
- कक. प्राधिकारी को प्रयोक्ताओं के साथ कम बोली के संबंध में साक्ष्य देने के लिए घरेलू उद्योग को निर्देश देना चाहिए क्योंकि प्रयोक्ता प्रस्तुत साक्ष्य की समीक्षा के बिना टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।
- खख. प्रयोक्ता अनुरोध करते हैं कि कम फैटी अमाइंस उत्पादों की एक व्यापक श्रेणी है और पीयूसी से अनिवार्यतः संबंधित नहीं है। इस साक्ष्य पर विचार करना पीयूसी से संबंधित होने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा एलिफैटिक अमाइंस की क्षमता के विस्तार पर विचार नहीं करने के प्राधिकारी के स्वयं के निष्कर्ष के विपरीत होगा।
- गग. केवल अधिशेष क्षमताओं की मौजूदगी क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- घघ. प्राधिकारी पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने या उनके जारी रहने की संभावना के संबंध में प्रयोक्ताओं के अनुरोध को समझने में विफल रहे हैं।
- ड.ड. मेघमनी और सोमिटोमो अलग-अलग कंपनियां हैं और वे अलग-अलग परिकलन और रिपोर्टिंग पद्धतियां अपना सकते हैं। कंपनियों द्वारा प्रयुक्त अन्य कच्ची सामग्रियों की कच्ची सामग्री लागत अलग-अलग है जिसके परिणामस्वरूप परिवर्तन लागत में अंतर होता है।
- चच. प्रयोक्ताओं को किसी विसंगति के कारण उनके आंकड़ों को अस्वीकार करने संबंधी टिप्पणी का अवसर दिया जाना चाहिए था।
- छछ. प्रयोक्ता अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की गणना के संबंध में अस्पष्ट है, ऐसी गणनाओं का आधार बताया जाना चाहिए।
- जज. विगत वर्ष में वैश्विक बाजार में विभिन्न गतिविधियों के कारण डाउनस्ट्रीम उत्पादों में प्रयुक्त अन्य कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट आई है जबकि उत्पादन लागत में पीयूसी के हिस्से में भारी वृद्धि हुई है। डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर उत्पादन लागत पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव अनुमानित प्रभाव की तुलना में अधिक रहने की संभावना है।
- झझ. पीयूसी की घरेलू आपूर्ति त्रुटिपूर्ण बनी रही है। वर्ष 2020-21 में जब घरेलू उद्योग का संयंत्र बंद रहा था, प्रयोक्ताओं को भारी नुकसान हुआ क्योंकि पीयूसी खरीदने का कोई अन्य स्रोत नहीं था।
- ञञ. एमआईपीए पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के कारण अनेक डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए विपरीत शुल्क संरचना बन गई है। इसके परिणामस्वरूप, तैयार उत्पादों के आयातों में वृद्धि हो गई है, जिससे प्रयोक्ता उद्योग को भारी क्षति हुई है।
- टट. वर्तमान पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाने से एमआईपीए के घरेलू उत्पादक को प्रदत्त संरक्षण का शोषण होगा और एनआईपीए के डाउनस्ट्रीम उत्पादों के घरेलू उत्पादकों का व्यापार बर्बाद हो जाएगा।
- ठठ. निर्दिष्ट प्राधिकारी एक अद्वि-न्यायिक निकाय है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बंधे हुए हैं, जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर ध्यान देना और एक तर्कसंगत आदेश देना अपेक्षित है। इस स्थिति की ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

115. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. प्राधिकारी को पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर विचार करना चाहिए। यदि घरेलू उद्योग आयात कीमतों की बराबरी करने को बाध्य होता है तो उसे वित्तीय घाटे, नकद घाटे और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय का सामना करना पड़ेगा।
- ख. संबद्ध देश से संपूर्ण क्षति अवधि में तीसरे देशों को सभी निर्यात घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम पर हुए हैं।
- ग. पाटनरोधी शुल्क की राशि को वर्तमान क्षति मार्जिन के स्तर तक सीमित रखने से भारतीय बाजार को क्षतिकारी निर्यात भेजे जाने पर रोक नहीं लगेगी।
- घ. क्षति अवधि के दौरान पाटन मार्जिन 70 प्रतिशत के काफी उच्च स्तर पर रहा है।
- ड. क्षति अवधि में क्षति मार्जिन 35-40 प्रतिशत के बीच रहा था।
- च. घरेलू उद्योग अब भी पाटित आयातों के प्रति संवेदनशील है और शुल्क को जारी रखना आवश्यक है। संबद्ध देश से कीमत कटौती का वर्तमान स्तर और घरेलू उद्योग के कम लाभ स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि शुल्क को जारी रखना आवश्यक है।
- छ. यदि प्राधिकारी पाटन के वर्तमान स्तर और क्षति मार्जिन के आधार पर पाटनरोधी शुल्क को पुनःनिर्धारित करते हैं तो शुल्क का पुनःनिर्धारण लक्षित प्रयोजन को पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं करेगा क्योंकि घरेलू उद्योग वांछित आय प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा।
- ज. वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में संबद्ध आयातों का लगभग 100 प्रतिशत ऐसी कीमतों पर आयातित है जो वर्तमान मार्जिन पर आधारित पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद भी घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम होगी।
- झ. वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में संबद्ध आयातों का लगभग 100 प्रतिशत ऐसी कीमतों पर आयातित है जो वर्तमान मार्जिन पर आधारित पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद भी घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम होगी।
- ञ. संबद्ध वस्तु की कीमतों में 36 प्रतिशत तक के स्तर तक भारी अंतर रहा है और इन आयातों के संबंध में क्षति मार्जिन भारित औसत क्षति मार्जिन से काफी अधिक रहा है।
- ट. ऐसी स्थिति में जहां आयात उसी महीने में या उसके आस-पास और क्षति अवधि के भीतर ही काफी अलग-अलग कीमतों पर हुए हैं, घरेलू उद्योग की चिंता कम कीमत वाले आयातों के बारे में है और न कि अधिक कीमत वाले आयातों के बारे में।
- ठ. प्राधिकारी ने पाया है कि तीसरे देशों को संपूर्ण निर्यात पाटित कीमतों पर हुए हैं और 99 प्रतिशत निर्यात क्षतिकारी कीमत पर हैं। ये निर्यात शुल्क समाप्त होने की स्थिति में संभावित मार्जिनों को दर्शाते हैं।
- ड. कानून और वैश्विक प्रक्रिया को केवल पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्णायक समीक्षा का दायरा मौजूदा शुल्क को केवल बढ़ाना है और मौजूदा शुल्क में बदलाव करना नहीं है।
- ढ. निर्णायक समीक्षा का उद्देश्य पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन का कोई नया निर्धारण करना नहीं है बल्कि प्राधिकारी को क्षति की संभावना की जांच करने के लिए संगत आंकड़े प्रदान करना है।
- ण. यदि कोई पक्षकार पाटन या क्षति मार्जिन का पुनः निर्धारण चाहता है तो उसे मध्यावधि समीक्षा जांच के लिए प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए।
- त. पाटनरोधी शुल्क 2018 से मौजूद है। अंतिम उपभोक्ताओं पर उक्त शुल्क का प्रभाव कोई नई बात नहीं होगी। कोई प्रभाव, जो पड़ा हो, वर्तमान शुल्क अवधि के दौरान भी पहले से पड़ा है।
- थ. घरेलू उद्योग द्वारा और डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा प्रदत्त शुल्क प्रभाव आकलन के बीच भारी अंतर दर्शाता है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग की बिक्री कीमत और अंतिम उपभोक्ता को अंतिम कीमत के बीच भारी अंतर मौजूद है। यदि यह स्वीकार भी किया जाए कि पाटनरोधी शुल्क से डाउनस्ट्रीम उद्योग की कीमत पर कोई प्रभाव पड़ता है तो वे अपनी कीमत में वृद्धि करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा अंतिम उपभोक्ता पर प्रभाव नगण्य है।
- द. यह तथ्य कि वर्ष 2020-21 में गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के भारी आयात हुए हैं, यह दर्शाता है कि यदि डाउनस्ट्रीम उद्योग चाहें तो अन्य स्रोत भारतीय बाजार में आपूर्ति कर सकते हैं।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

116. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात के अनुरोधों की जांच की है, और यह नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां दोहराव हैं जिनकी पहले ही प्रकटन विवरण के संगत पैराओं में उपयुक्त रूप से जांच और पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है:
117. प्राधिकारी झेजियांग से किसी उत्पादक से संबंधित क्षमता विस्तार सूचना की उपयुक्तता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध को नोट करते हैं जिनका उपयोग कम फैटी अमाइंस के सभी प्रकारों के उत्पादन में किया जा सकता है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तथ्य को देखते हुए कि पीयूसी के लिए उत्पादन हेतु समर्पित क्षमता अपेक्षित नहीं है और उद्योग अधिकांशतः उसी संयंत्र के भीतर अनेक प्रकार के अमाइंस का उत्पादन करते हैं, पीयूसी से संबंधित सूचना का तब तक अलग से आकलन संभव नहीं है जब तक उसके संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाएं। यह भी नोट किया जाता है कि प्रयोक्ता उद्योग ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो पीयूसी के उत्पादन के लिए समर्पित क्षमता के विशिष्ट आकलन में मदद कर सके।
118. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि केवल अधिशेष क्षमताओं के आधार पर संभावना की मौजूदगी संबंधी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अनुबंध-II के पैरा 7 में यथा-निर्धारित संभावना संबंधी मानदंडों की मौजूदगी का विश्लेषण किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के निर्यातोन्मुख होने, तीसरे देश को क्षति और संबद्ध देश से पाटित आयातों तथा भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता का विश्लेषण किया है। संभावना की मौजूदगी का निर्धारण ऊपर बताए गए कारकों के विश्लेषण के बाद किया गया है।
119. घरेलू उद्योग द्वारा शुरू की गई अनेक क्षमता विस्तार परियोजनाओं के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के बारे में यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने बताया है कि वह केवल अपने पातालगंगा स्थल पर पीयूसी का उत्पादन करता है। इसके अलावा, जैसा ऊपर बताया गया है, क्षमता विस्तारों से संबंधित कोई लागत पीयूसी के लिए लागत के आबंटन से संबंधित नहीं है।
120. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में सुधार संबंधी अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने प्रकटन विवरण में पहले ही घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों की जांच की है। शुल्क लगने के साथ आवेदक के निष्पादन में सुधार हुआ है। यद्यपि आवेदक पहले घाटा उठा रहा था, तथापि पाटनरोधी शुल्क से उसकी स्थिति में सुधार हुआ है।
121. अन्य इच्छुक पार्टियों ने ट्रेड नोटिस संख्या 10/2018 के आवेदक द्वारा गैर-अनुपालन के संबंध में टिप्पणी की है। यह नोट किया जाता है कि ट्रेड नोटिस संख्या 05/2021 के तहत घरेलू उद्योग के लिए आवेदन प्रपत्र में बदलाव किया गया था। ट्रेड नोटिस संख्या 05/2021 के अनुसार आरएंडडी व्यय, औसत उद्योग मानदंड, जुटाई गई धनराशि, प्रति यूनिट बिक्री की लागत आदि जैसे पैरामीटर प्रोफार्मा का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए, आवेदक ने अपने आवेदन के हिस्से के रूप में इसे जमा नहीं किया है।
122. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने चीन जन.गण. में पीयूसी की अधिशेष और अप्रयुक्त क्षमताओं से संबंधित बाजार-अनुसंधान-आधारित सूचना की अविश्वसनीयता के संबंध में बताया है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अधिशेष क्षमता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त बाजार अनुसंधान आधारित सूचना पर विचार नहीं किया है।
123. इस अनुरोध के संबंध में कि डाउनस्ट्रीम उद्योग में वृद्धि के कारण चीन में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि होने की संभावना है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण नए तथ्यों को सामने लाने का स्तर नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण जारी होने के पहले मांग में वृद्धि संबंधी साक्ष्य प्रदान करना चाहिए था। तथापि, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में पीयूसी की मांग में वृद्धि के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ग्लाइफोसेट जो एक अंतिम उत्पाद है, की मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप वृद्धि के साक्ष्य का अवलोकन किया है। यह नोट किया जाता है कि इस अनुच्छेद के लेखक ने ऐसी संख्याओं को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त पद्धति संबंधी सूचना का प्रकटन नहीं किया है। इसके अलावा, क्या यह निष्कर्ष सूचना के विश्वसनीय स्रोत पर आधारित है, यह भी स्पष्ट नहीं है। अतः, उपर्युक्त के मद्देनजर प्रकटन पश्चात स्तर पर

सूचना प्रस्तुत करने के अतिरिक्त प्राधिकारी प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार नहीं कर सकते हैं।

124. उपयोगकर्ता उद्योगों द्वारा उनके डेटा की अस्वीकृति से संबंधित तर्क के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि उपयोगकर्ता उद्योगों द्वारा प्रदान की गई संपूर्ण जानकारी को अस्वीकार नहीं किया गया है। उपयोगकर्ता उद्योग ने अपनी उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य पर एंटी-डंपिंग शुल्क का प्रभाव प्रदान किया था। रिकॉर्ड में प्रस्तुत की गई जानकारी के अवलोकन पर, यह पाया गया कि दो उपयोगकर्ता उद्योगों द्वारा निर्मित अंतिम उत्पाद की रूपांतरण लागत में काफी अंतर है। जहां एक उपयोगकर्ता ने *** रुपये प्रति लीटर की रूपांतरण लागत प्रदान की, वहीं दूसरे उपयोगकर्ता ने *** रुपये प्रति किलोग्राम की रूपांतरण लागत प्रदान की। प्राधिकरण ने डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता उद्योग की बिक्री कीमत के संबंध में जानकारी मांगी और उसका सत्यापन करने के बाद डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा प्रदान की गई कीमतों पर एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव पर विचार किया। हालांकि, रूपांतरण लागत में महत्वपूर्ण भिन्नता को देखते हुए, प्राधिकरण डाउनस्ट्रीम उद्योग के उत्पादन की कुल लागत में कुल कच्चे माल की लागत के हिस्से की जांच करने में सक्षम नहीं था।
125. अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त पद्धति के प्रकटन संबंधी दलील के संबंध में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना पर भरोसा किया है। कीमतों संबंधी सूचना घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का हिस्सा थी और प्रयोक्ता उद्योग के साथ साझा की गई थी।
126. बाजार हिस्से के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष के दौरान आयातों का बाजार हिस्सा 38 प्रतिशत था जो आगामी वर्ष में गिरावट के बाद वर्ष 2020-21 में पुनः बढ़ा और आयातों का बाजार हिस्सा 28 प्रतिशत हो गया जो काफी अधिक था। पीओआई के दौरान यद्यपि चीन जन.गण. से संबद्ध आयातों के हिस्से में गिरावट आई और वह बाजार का 10 प्रतिशत हो गया परंतु यह भी पर्याप्त बाजार हिस्सा है।
127. पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा दर्ज वृद्धि के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के बारे में यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2020-21 में कच्ची सामग्री की कमी, कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि कम कीमत वाले आयातों में भारी वृद्धि और कारखाने के बंद होने के कारण घरेलू उद्योग के वृद्धि संबंधी मानदंडों की स्थिति काफी खराब हो गई थी। परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती वर्ष से पीओआई में घरेलू उद्योग के मापदंडों की तुलना तब तक सही नहीं होगी जब तक पूरी क्षति अवधि के संदर्भ में उसका विश्लेषण नहीं किया जाए।
128. आपूर्ति के अनियमित स्रोतों से संबंधित अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2020-21 में, कई कारणों से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन गिर गया था। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में गिरावट से उत्पन्न रिक्तता को गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों द्वारा तेजी से भर दिया गया। हालांकि, यह डाउनस्ट्रीम उद्योग को उनके अंतिम उत्पादों के लिए कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति के झटकों से बचाने के लिए एक मजबूत घरेलू उद्योग की आवश्यकता को स्थापित करता है।
129. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग क्षति रहित कीमत पर बिक्री करने में सक्षम रहा है। लागू पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग लगभग गैर - क्षतिकारक कीमत के स्तर पर बिक्री कीमत हासिल करने में सक्षम रहा है। यद्यपि क्षति रहित कीमत एक धारणात्मक कीमत है जिसे किसी अवधि विशेष में लागत के आधार पर यह जांच करने के लिए निर्धारित किया जाता है कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क की राशि क्षति का समाधान करने के लिए पर्याप्त होगी, तथापि बिक्री कीमत बाजार की शक्तियों पर निर्भर होती है। किसी भी तरह प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत और बिक्री कीमत, दोनों की तुलना की है और पाया कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत वास्तव में कम है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण नियमावली के अनुबंध II के पैरा 4 में निर्धारित क्षति पैरामीटरों के विश्लेषण द्वारा किया गया है।
130. कीमत कटौती और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच सह-संबंध के बारे में प्रयोक्ता उद्योग के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में पहले ही जांच की है कि इन दोनों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा अपनी कीमतें बढ़ा सकने संबंधी अनुरोध के बारे में प्राधिकारी ने सौदा-वार आयात आंकड़ों की भी जांच की है। आयात आंकड़ों की जांच भी की थी और

यह पाया कि 77 प्रतिशत आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम पर हुए हैं और 76 प्रतिशत आयात घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम पर हुए हैं।

131. प्रयोक्ता उद्योग ने बताया है कि संबद्ध वस्तु की कीमतें तब अधिक होती हैं जब उन्हें शुल्क मुक्त स्कीमों के अंतर्गत आयात किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अनुरोध के समर्थन में प्रयोक्ता उद्योग ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है। प्राधिकारी ने अपनी संगत प्रक्रिया के अनुसार शुल्क मुक्त और शुल्क प्रदत्त श्रेणी में समग्र रूप से आयातों की जांच की है।

ड. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

132. दी गई दलीलों, प्रदत्त सूचना, किए गए अनुरोधों और ऊपर यथा दर्ज प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के उक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:
- क. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अन्तर्गत घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के अन्तर्गत अपेक्षाओं को पूरा करता है।
 - ख. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है। पाटन और क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं।
 - ग. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद पाटित आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, तथापि आयातों की मात्रा पर्याप्त बनी हुई है।
 - घ. आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है। तथापि, पाटनरोधी लागू शुल्क ने यह सुनिश्चित किया है कि आयातों से कीमतों पर कोई खास न्यूनकारी/ह्रासकारी प्रभाव न पड़े।
 - ड. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
 - च. घरेलू उद्योग का निष्पादन मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण जांच अवधि में सुधरा है।
 - छ. यह तथ्य कि शुल्क लागू होने के बाद भी पाटित आयात जारी हैं, इस बात की प्रबल संभावना दर्शाता है कि यदि शुल्क हटाए जाते हैं तो संबद्ध आयातों की मात्रा में काफी उच्च दर से वृद्धि होगी।
 - ज. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से तीसरे देशों को लगभग 100 प्रतिशत निर्यात पाटित कीमतों पर हुए हैं।
 - झ. यह देखा गया है कि तीसरे देशों को संबद्ध देश से लगभग 100 प्रतिशत निर्यात क्षतिकारी कीमत पर हुए हैं।
 - ञ. संबद्ध देश से तीसरे देशों को निर्यात भारत को निर्यात कीमत से वास्तविक रूप से कम कीमत पर हुए हैं। तदनुसार, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि भारतीय बाजार चीन के निर्यातकों को लाभकारी कीमत सुलभ कराता है।
 - ट. पाटनरोधी शुल्क के गैर-मौजूदगी में घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों का प्रतिकूल प्रभाव काफी अधिक होगा।
 - ठ. यदि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु की आयात कीमत के बराबर कीमत पर बिक्री करने को बाध्य होना पड़ा तो उसे वित्तीय घाटे, नकद घाटे और निवेश पर ऋणात्मक आय झेलनी पड़ेगी।
 - ड. संबद्ध देश में उत्पादक अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं।
 - ढ. तदनुसार, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि यदि शुल्क हटाया जाता है तो पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
 - ण. भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से प्रयोक्ता उद्योग अपनी जरूरतों से वंचित नहीं होगा।
 - त. अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव मामूली है।
133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन और क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति की संभावना के पहलुओं संबंधी सूचना देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।
134. इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो पाटन तथा क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है, प्राधिकारी का विचार है कि संबद्ध देशों से पीयूसी के

आयातों पर शुल्क जारी रखना आवश्यक है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि शुल्क की कितनी राशि की सिफारिश की जाए जो ऊपर यथा-संचालित संभावना विश्लेषण के अनुसार पाटन/क्षति को कम कर देगी। भारत को और शेष विश्व को संबद्ध देशों से पाटित और क्षतिकारी आयातों की मात्रा पर विचार किया गया है।

135. पूर्वोक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा राशि को जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझते हैं, जो संबद्ध देशों से पाटन और क्षति की संभावना का समाधान करेगी और उसे कम करेगी। इस प्रकार प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 14/2018 – सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा लागू मौजूदा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं। मूल जांच में भाग लेने वाले परंतु इस समीक्षा जांच में उत्तर नहीं देने वाले उत्पादकों को असहयोगी माना गया है और तदनुसार, उन्हें शुल्क की अवशिष्ट श्रेणी प्रदान की गई है।
136. इस प्रकार, प्राधिकारी, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दी गई राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त और आवश्यक समझते हैं। अतः ऊपर यथा-निर्धारित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क आगामी पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लागू करने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29211190 और 29211990	मोनो आइसोप्रोपाइलेमाइन	चीन जन.गण.	चीन सहित कोई देश	कोई उत्पादक	620.00	एमटी	यूएस डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन के अलावा कोई देश	चीन जन.गण.	कोई उत्पादक	620.00	एमटी	यूएस डॉलर

137. इस अधिसूचना के उद्देश्य से संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा-निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार से सीमा शुल्क शामिल हैं।

ढ. आगे की प्रक्रिया

138. इस सिफारिश से उत्पन्न केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2022

FINAL FINDING

Case No. AD (SSR)-04/2022

Subject : Sunset review investigation of anti-dumping duty on the imports of Monoisopropylamine originating in or exported from China PR.

F. No. 7/12/2022 – DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'the Rules' or 'AD Rules') thereof –

The Designated Authority (hereinafter referred to as "Authority") received an application from Alkyl Amines Chemicals Limited (hereinafter referred to as the 'applicant' or the 'domestic industry') seeking initiation of a sunset review for extension of the anti-dumping duty imposed on imports of Monoisopropylamine (hereinafter to be referred to as "MIPA" or the 'subject goods' or the 'product under consideration' or the 'PUC'), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the 'subject country').

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The original anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 14/10/2016- DGAD dated 15th February 2017. The final findings in the impugned original investigation was issued vide notification No. 14/46/2016 - DGAD dated 12th February 2018 recommending imposition of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country. The definite anti-dumping duties were imposed vide Notification No. 14/2018 - Cus (ADD), dated 21st March 2018. The said duties were levied for a period of 5 years and are set to expire on 20th March 2023.
 2. In terms of Section 9A (5) of the Act, any anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition. The Authority is required to review whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
 3. Further, Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:
 1. *"any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry"*
 4. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
 5. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No F. No. 7/12/2022- DGTR dated 15th September 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
 6. The scope of the present review covers all aspects of the Final Finding No. 14/46/2016 - DGAD dated 12th February 2018, and Notification No. 14/2018 – Cus (ADD), dated 21st March 2018.
- B. PROCEDURE**
7. The procedure described herein below has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules.

- b. The Authority issued a public notice dated 15th September 2022 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning the import of the subject goods from the subject country.
- c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, the known importers/users and the domestic industry as per the available information. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and to make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
- d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
- e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaires issued by the Authority within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire was also sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- f. The Authority sent exporter's questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -
 - i. Taizhou Jianye Chemical Co. Ltd.
 - ii. Zhejiang Xinhua Chemical Co. Ltd.
 - iii. Dezhou Detian Chemical Co. Ltd
 - iv. Taizhou Jianye Chemical Co. Ltd.
 - v. Anhui Haoyuan Chemical Group Co. Ltd.
- g. None of the producers/exporters from the subject country have responded or filed the exporter questionnaire response issued by the Authority.
- h. The Authority sent questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -
 - i. Krishna Solvechem Ltd
 - ii. OC Specialities Pvt. Ltd
 - iii. K Rasiklal Exim Pvt Ltd
 - iv. Nutron Pharmaceuticals Pvt. Ltd
 - v. Medi Pharma Drug House
 - vi. Venus International
 - vii. Agro Life Science Corporation
 - viii. Chemo India
 - ix. Orion Chem Pvt. Ltd.
 - x. Leo Chemplast Pvt. Ltd
 - xi. Ketan Chemical Corporation
 - xii. Ratnachand & Company
 - xiii. TASC Chemical Industries Pvt. Ltd.
 - xiv. Lakshmi Saras Chem Tech Pvt. Ltd.
 - xv. Kopran Research Laboratories Ltd.
 - xvi. Coromandel International Ltd.
 - xvii. Insecticides India Ltd
 - xviii. Atul Limited

- xix. Fleming Laboratories Ltd.
- xx. Excel Crop Care Ltd.
- xxi. Verdant Life Sciences Pvt. Ltd.
- xxii. Jai shree Rasayan Udyog Ltd.
- xxiii. Polydrug Laboratories Pvt. Ltd.
- xxiv. CTX Life Sciences Pvt. Ltd.
- xxv. IPCA Laboratories Limited
- xxvi. HPM Chemicals and Fertilizers Limited
- xxvii. Malladi Drugs & Pharmaceuticals Limited
- xxviii. Meghmani Organics Ltd.
- xxix. Amri India Pvt. Ltd.
- xxx. Crystal Crop Protection Pvt. Ltd.
- xxxi. Heranba Industries Ltd.
- xxxii. Sangrose Laboratories Pvt. Ltd.
- xxxiii. Agrow Allied Ventures Private Limited
- i. The following users have filed the user questionnaire response: -
 - i. Meghmani Industries Ltd.
 - ii. Sumitomo Chemical India Ltd.
- j. Additionally, Insecticides India Limited, Crop Care Federation of India and Agro Chem Federation of India have filed submissions.
- k. The Authority made available the non-confidential version of the information submitted by all interested parties in the form of an e-file through e-mail to all the interested parties.
- l. Since the transaction-wise details of import data could not be provided by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), the Authority called upon DG Systems to provide transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period. The Authority carried out due examination of the transaction-wise data and has relied upon the DG Systems data for computation of the volume and value of the subject imports.
- m. Non-injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules so as to ascertain whether an anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- n. The information/data submitted by the domestic industry has been verified to the extent deemed necessary and relied upon for the purpose of this final finding. Information was sought from the domestic industry and the other interested parties to the extent deemed necessary. The Authority also conducted physical verification at the premises of the domestic industry.
- o. The period of investigation for the purpose of the present review investigation is 1st April 2021 - 31st March 2022 (12 months). The injury examination period has been considered as the period from 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the period of investigation.
- p. The Authority held an oral hearing on 10th November, 2022 to provide an opportunity to all the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6) of the AD Rules. The parties, that presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with all other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- q. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regards to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties

providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- r. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 13.12.2022 and the interested parties were allowed time up to 19.12.2022 to comment on the same. The comments on disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification.
- s. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present final finding on the basis of the facts available.
- t. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation. The Authority will further examine the evidentiary documents submitted by the interested parties subsequent to the final finding, which will form the basis for conclusions at the time of final findings.
- u. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs75.37.
- v. ‘***’ in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (“PUC”) AND LIKE ARTICLE

8. The product under consideration is “Monoisopropylamine”, also known as MIPA. Monoisopropylamine is an organic compound, an amine. It is a base, as typical for amines. It is a hygroscopic colorless liquid with ammonia-like odor.

C.1 Submissions made by the other interested parties

9. The other interested parties have not made any submissions with respect to the scope of the PUC.

C.2 Submissions made by the applicant

10. The following submissions have been made by the domestic industry with respect to the PUC.
- a. Since the present investigation pertains to sunset review of the extant anti-dumping duties, the product under consideration remains the same as it was defined in the original investigation.
 - b. No significant developments have taken place over the period.
 - c. The product manufactured by the domestic industry continues to remain like article to the imported product.
 - d. It is imported under Chapter 29, under sub heading 29211190 and 29211990 of the Customs Tariff Act, 1975.
 - e. MIPA is produced in anhydrous (99.5%) form. Diluted form is obtained by adding water to anhydrous form which reduces the concentration of MIPA to 70%. It is commercially sold in both anhydrous form and dilute 70% form. The diluted form is not hazardous in nature and can be easily imported.

C.3 Examination by the Authority

11. The present investigation is a sunset review investigation and the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. The product under consideration as defined in the original investigation is reproduced hereunder –

“6. The product under consideration is “Monoisopropylamine”, also known as MIPA. Monoisopropylamine is an organic compound, an amine. It is a base, as typical for amines. It is a hygroscopic colourless liquid with ammonia-like odor. Its melting point is –95.2 °C and its boiling point is 32.4 °C. It is miscible with water. It is extremely flammable, with flash point at –37 °C. MIPA is produced in anhydrous (99.5%) form. Diluted form is obtained by adding water to anhydrous form where concentration level is reduced to desired level as per buyer’s requirement. It is commercially sold both in anhydrous form and aquatic form depending on the application or end use.

7. The main uses of the product under consideration are in glyphosate herbicide formulations, a key component of atrazine (another herbicide), a regulating agent for plastics, intermediate in

organic synthesis of coating materials, plastics, pesticides, rubber chemicals, pharmaceuticals and others, and as an additive in the petroleum industry”

12. The product under consideration does not have a dedicated customs classification code and is imported under Chapter 29, under sub heading 29211190 and 29211990 of the Customs Tariff Act, 1975. Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the subject investigation.
13. The Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject country in terms of chemical characteristics, product specifications, technical specifications, manufacturing process and technology, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, the Authority concluded that the subject goods produced by the domestic industry are ‘like article’ to the subject goods being imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules and the scope of the PUC remains the same as defined in the original investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made by the other interested parties

14. The other interested parties have not made any submissions with respect to the scope of the domestic industry or its standing.

D.2 Submissions made by the applicant

15. The applicant has made the following submissions with regards to the scope of the domestic industry and its standing:
 - a. The applicant is the sole producer of the subject goods in India.
 - b. The applicant has neither imported the subject goods nor is it related to any exporter from the subject country or importer in India.
 - c. The application satisfies the requirement laid down in the Rules.

D.3 Examination by the Authority

16. The application has been filed by Alkyl Amines Chemicals Limited. As per the information on record, the applicant is the sole producer of the subject goods in India. The applicant is neither related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country nor to any importer of the subject goods in India either directly or indirectly within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. Further, no submissions have been made by any interested party regarding the scope of the domestic industry. Therefore, the Authority holds that the applicant constitutes the ‘domestic industry’ as defined under Rule 2(b) of the Rules. Even though the standing requirements are not applicable to review investigations, the Authority concludes that the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the Rules.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E.1 Submissions made by other interested parties

17. The other interested parties have made the following submissions:
 - a. The extension of duties in a sunset review investigation is of exceptional nature which requires extraordinary situations.
 - b. The applicant has not disclosed the source of the import data.
 - c. The import data submitted by the domestic industry is inconsistent with the data from reliable sources such as Trademap.
 - d. The Authority is requested to rely only on DGCI&S data for the purpose of final determination and share it with the user industry.
 - e. The applicant has failed to provide domestic sales quantity as well as sales under two separate heads as required under Trade Notice No. 10/2018.
 - f. The applicant has not provided data pertaining to average industry norm for productivity, inventory, PBIT as % for capital employed in accordance with Trade Notice No. 10/2018.
 - g. The applicant has failed to provide data related to R & D Expenses, funds raised, cost of sales per unit (exports) as per the Trade Notice No. 10/2018.
 - h. The applicant has not provided NIP information as per the Trade Notice No. 10/2018.
 - i. There is no requirement to initiate a sunset review, especially when a duly substantiated

application to establish likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury ¹has not been provided as laid down by the High Court of Delhi in *Kesoram Rayon v. Designated Authority*².

- j. Contrary to the claim of the domestic industry, there is no reason to compulsorily initiate a review investigation before the expiry of the extant anti-dumping duties.
- k. The applicant has stated that amines cannot be easily transported due to their hazardous nature and imports are not easy and people prefer to use locally manufactured amines at a reasonable cost.

E.2 Submissions by the domestic industry

18. The domestic industry has made the following submissions:

- a. The product is imported under several product descriptions such as monoisopropylamine, mono isopropylamine, mono iso propyl amine, isopropylamine etc. The Authority is requested to kindly consider the above descriptions as and when it procures the import data.
- b. The volume of imports reported in the DG Systems data may be under reported not only with respect to subject imports from the United States of America, but also from the subject country.
- c. The Authority is requested to kindly consider the DGCI&S transaction-wise data.
- d. Crop Care Federation of India and Agro Chem Federation of India have not established that the association has been duly authorized by its members and the consumers of the product under consideration to represent themselves in the present investigation.
- e. Agro Chem Federation of India has more than thirty-seven members and only Sumitomo Chemical Industries has participated. Similarly, Crop Care Federation of India has around forty members but only two of its members have participated.

E.3 Examination by the Authority

19. The present investigation was initiated by the Authority based on the data and information provided by the domestic industry, after *prima facie* satisfying itself that there exists sufficient evidence of dumping and likelihood of injury. Further, subsequent to the initiation, information, to the extent deemed necessary, has been sought from the domestic industry and has been provided by the domestic industry.

20. Rule 7 of the Rules lays down the following with respect to confidential information:

"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in subrules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

- 21. The Authority made available non-confidential versions of the information provided by the interested parties to all other interested parties.
- 22. As regards the claims of the interested party, the Authority notes that the information considered by the Authority for the purpose of injury or likelihood analysis has been provided by the domestic industry in the non-confidential version. Further, as regards the contention of industry norms, the same are not a part of the revised costing formats issued by the Authority. Therefore, the submission is not accepted.
- 23. The Authority examined the confidential information provided by the domestic industry and other interested parties as part of their submissions and responses for sufficiency of such claims in accordance with Rule 7 of the Rules. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims,

¹ *infra* note 2 at p.78.

² 2017 SCC OnLine Del 11479.

wherever warranted and such information has been considered confidential. With respect to claims related to providing information relating to NIP, it is noted that the same was provided in accordance with the relevant trade notice.

24. It is noted that all interested parties to the investigation had requested for consideration of DGCI&S transaction-wise data. Further, the interested parties have contended that the import data provided by the domestic industry is unreliable as the domestic industry has failed to provide its source. The Authority notes that since DGCI&S transaction-wise data could not be provided, the Authority has based its examination on the basis of DG Systems data.

F. CONTINUATION OF DUMPING FROM SUBJECT COUNTRY- DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Submissions by the other interested parties

25. The following submissions have been made by the other interested parties during the course of the investigation.
- Given the fact that the applicant is a multi-product company and the installed capacity can be used for other products as well, it is requested that the Authority kindly verify the cost allocation of the applicant and ensure that cost of other products do not impact the cost of the PUC.
 - With respect to the applicant's submissions regarding use of 'adverse facts', it is submitted that the concept of 'adverse facts' does not exist in WTO law.
 - In a recent Panel Report of United States – Anti Dumping and Countervailing Duties on Certain Products³, it was observed that in case of non – cooperation by an exporter, the investigating authority must only rely on such facts which 'reasonably replace the necessary information'.
 - Such information must be selected in an unbiased and objective manner. The information need not be favorable to the non – cooperating exporter, however, the information cannot punish non – cooperation.⁴

F.2 Submissions by the domestic industry

26. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation.
- China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules.
 - None of the producers/exporters from China PR have participated in this review investigation. It is, therefore, requested that the Authority kindly apply adverse facts with respect to dumping margin and likelihood determination.
 - On 11th December 2016, only the provisions of Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol expired but that of Article 15(a)(i) continue to remain in force, which requires the producers/exporters from China PR to establish that they are operating under the market economy conditions.
 - The Authority has considered China PR as a nonmarket economy in all the recent investigations unless the producers/exporters demonstrate that they are operating under the market economy conditions.
 - The price lists or commercial invoices for sales in the local market of the country are commercially sensitive information and therefore not available in the public domain.
 - Since none of the producers from China PR has participated, the claims of dumping are undisputed.
 - There are significant imports from USA and therefore, normal value can be determined based on the export price from USA.
 - The Authority had rejected the normal value based on USA's export price solely on the ground that volume of such imports is low. The consideration of DGCI&S data will depict a different volume of imports.

³ Panel Report, United States – Anti Dumping and Countervailing Duties on Certain Products and the Use of Facts Available, Paras 7.28 – 7.32.

⁴ *ibid.*

- i. The dumping margin in the year 2018-19 and 2019-20 was as high as 40 %- 50% (based on the normal value constructed on the basis of USA's export price).
- j. There is significant price variation in the prices of the product under consideration, sometimes as high as 36 %, within the same month.
- k. The producers from China PR are willing to ship to the Indian market at any price.
- l. There is significant difference in the import value declared at the time of import into India and the export value declared at China's ports at the time of export.
- m. The ocean freight during the period of investigation was significantly higher and request to consider the same in computation of export price.

F.3 Examination by the Authority

Normal value

27. According to Section 9A (1)(c) of the Act, 'normal value' in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

28. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China PR based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China PR if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China PR may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China PR.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with

subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China PR has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China PR establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

29. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.
30. As none of the producers from China PR have participated, the normal value has been determined in accordance with Para 7 of Annexure I to the Rules.
31. The applicant had at the stage of initiation of this review investigation proposed to determine the normal value on the basis of USA's export price of the subject goods to India by taking into account market field research. The applicant further supplemented the normal value on the basis of price payable in India based on the cost of production of the like article in India after addition for selling, general and administrative expenses, and reasonable profits.
32. The Authority has analyzed the data received from DG Systems and found the volume of imports from USA to be much lower than the volume reported by the applicant. Therefore, the Authority had at the stage of initiation considered the constructed normal value for China PR based on the estimates of cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits. The applicant has claimed that all the transactions of imports from the United States of America are not reflected in the DG Systems data and had requested to procure transaction-wise DGCI&S data. However, due to the non-availability of transaction-wise DGCI&S data, the Authority could not verify the claims of the applicant. The normal value has, therefore, been determined on the basis of cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The normal value for bulk and packed goods has been determined separately. The normal value so determined is shown below in the dumping margin table below.

Export price

33. In the absence of cooperation from any producers/exporters from China PR, the Authority has determined the net export price on the basis of DG systems data. Since this data is on CIF terms, adequate adjustments have been made to arrive at ex-factory level. The export price for bulk and packed goods has been determined separately. The weighted average ex-factory export price as determined, is shown in the dumping margin table below.

Dumping margin

34. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country has been determined as follows:

S.N.	Particulars	Type	Normal value USD/MT	Export price USD/ MT	Dumping margin		
					USD/ MT	%	Range
1	Any producer	Bulk	***	***	***	***	20-30
		Packed	***	***	***	***	20-30
		Weighted Average	***	***	***	***	20-30

35. On the basis of above, it is noted that there is a continuation of dumping of the subject goods from the subject country.

G. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OF INJURY - EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**G.1 Submissions made by other interested parties**

36. The other interested parties have made the following submissions regarding injury and causal link:
- a. The applicant's profitability has been impacted by depreciation and other capacity expansion costs. The addition of such costs has led to inflated cost of production which has consequently led to overstatement of the normal value and NIP.
 - b. The applicant has admitted to a decline in the volume of the subject imports from the subject country. The volume of imports has declined substantially in relation to production and consumption.
 - c. Domestic sales have increased more than the increase in the demand of the product. This indicates that the domestic industry was able to expand its market share despite an increase in imports from other countries.
 - d. Despite an increase in demand by 49 index points in 2020 – 21 (an increase of 27 index points in comparison to the previous year) and an increase of 1972% in imports from other countries, the volume of imports from China PR witnessed an increase of mere 5% as compared to the base year. It is also to be noted that the applicant's plant was shut down twice in this period.
 - e. Further, despite a fall in demand of the product under consideration in the POI as compared to the previous year, applicant's sales have increased by 36 index points as compared to the previous year and 61 index points when compared to the base year.
 - f. The applicant has been selling the product under consideration at Rs. 1,65,640/MT to Rs. 1, 98, 768/MT and the NIP as per application is in the range of Rs. 1,50,000/MT to Rs. 1,70,000/MT. Therefore, the domestic industry is selling the like article at a non-injurious price, or is suffering negligible injury.
 - g. There appears to be no correlation between the alleged price undercutting and the profitability of the domestic industry.
 - h. The NSR per unit in the POI is same as the previous year, however, the domestic industry's profitability in the POI has shown tremendous jump as compared to the previous year.
 - i. There is no price suppression as the domestic industry's NSR has moved in tandem with its cost of sales.
 - j. The cost fluctuations for the applicant have been particularly erratic owing to high cost of raw materials, plant shut-downs in 2020-21, and high-capacity costs incurred on account of its expansion projects.
 - k. There has been a steep increase in the domestic industry's production quantity, and a commensurate growth in the domestic sales.
 - l. The loss in the market share of the domestic industry in the period of 2020-21 has been primarily due to the shutdowns put in place by the domestic industry.
 - m. The injury period has seen a surge of imports of the product under consideration from third countries which has taken market share of the domestic industry.
 - n. The market share of the subject imports from China PR is merely 9%, which cannot be considered to be a large portion of the domestic market share.
 - o. The applicant has earned large profits in the POI and throughout the injury period. As admitted by the applicant, the loss suffered in 2020-21 was on account of the "lockdown imposed by the Government of India and unavailability of raw material".
 - p. The Authority should assess whether the losses incurred by the applicant in 2020-21 can be ascribed to the performance of the PUC, or if losses incurred on account of other products have been allocated to the PUC.
 - q. The Authority should examine the impact of the four expansion projects undertaken by the applicant on its profitability.
 - r. The applicant has almost doubled its capital employed over the injury period. Due to the applicant's plans related to capacity expansion, its working capital requirements have increased to tend to the initial costs related to such expansion.
 - s. Despite a doubled capital, the domestic industry has witnessed 221 % year-on-year growth in its ROCE.

- t. The applicant has admitted that it has witnessed a significant jump in its top line and operating margins on account of strong traction in its key products of amines, their derivatives and specialty chemicals.
- u. The applicant has plans to increase its capacity by INR 400 crore for aliphatic amines. The applicant also claims to have the largest plant for aliphatic amines in the world. The product under consideration is also an aliphatic amine.
- v. It has been admitted by the applicant in its annual report that its performance has been deeply impacted by the rise in raw material costs.
- w. The applicant's depreciation costs have clearly impacted its profitability.
- x. The applicant's decision to sell the like article at a lower price is clearly a business decision to attract market share and is not related to the subject imports.
- y. The landed price of the subject imports from the subject country is significantly higher than the applicant's selling price.
- z. The domestic industry has not established the causal link. A recommendation for continuation of duty must clearly establish a nexus between the 'expiry of the duty', on the one hand, and 'continuation or recurrence of dumping and injury', on the other hand, such that the former 'would be likely to lead to' the latter.
- aa. With respect to the applicant's argument regarding significant variance in price of the PUC, it is submitted that the product under consideration is a commodity goods and is subject to price fluctuations.

G.2 Submissions made by the domestic industry

37. The domestic industry has made the following submissions with respect to injury and causal link:
- a. Post the imposition of duties in March 2018, the applicant has been able to improve its performance in both price as well as volume front.
 - b. The disruptions caused by the outbreak of the COVID-19 pandemic affected the operations of the domestic industry in the year 2020-21.
 - c. The subject imports from the subject country are still entering into the Indian market at dumped and injurious prices which has adversely impacted the domestic industry's growth.
 - d. The market share of the dumped imports continues to remain significant.
 - e. The production, sales volume and capacity utilization parameters have improved after the imposition of the anti-dumping duties. However, the capacity utilization of the applicant is very low and it is still operating with significant idle capacities.
 - f. The volume of subject imports from China PR has declined only because of the extant anti-dumping duties.
 - g. Post the imposition of duties, the applicant was able to record profits in the years 2018-19 and 2019-20. The applicant suffered losses in the year 2020-21. The return earned by the applicant continues to remain low.
 - h. Average inventory of the applicant has increased throughout the injury period.
 - i. The landed price of the subject imports from the subject country is below the selling price of the applicant and price undercutting is positive.
 - j. The present profits earned by the applicant is because of the anti-dumping duty in place and the expiry of the anti-dumping duty would lead to a situation wherein the subject imports from the subject country would have a suppressing/depressing impact on it. The duty in force has ensured that the subject imports do not cause any suppressing or depressing effect on the prices of the applicant.
 - k. The prices of the subject goods have varied significantly in a particular month to the extent of 36%. The users have no contractual agreements for fixed volume and fixed prices. The users import when they find the prices favorable.
 - l. A glaring proportion of the total subject imports (more than 85% and price excluding duty) were below the average selling price of the domestic industry resulting in a significant positive price undercutting of 18%.
 - m. The domestic industry has not been able to fetch prices even equivalent to its non-injurious price.

- n. With respect to averments made by the other interested parties regarding capacity expansion, it is submitted that those expansions are related to the aliphatic amines plant which is a completely different product. It is clarified that the product under consideration cannot be manufactured on such plants.
- o. None of the four expansions talked about in the annual report pertain to the product under consideration. Further, no cost on these accounts has been charged by the applicant.
- p. With respect to the submission of other interested parties regarding the significant increase in profitability, the following is submitted that the 2020 - 21 period saw an increase in the raw material price and the applicant was forced to suspend production and hence suffered losses. The domestic industry's situation has improved in the POI as raw material prices and imports have declined because of which the applicant has been able to record a positive return. However, the applicant's situation continues to remain vulnerable.
- q. The volume of subject imports from the non-subject countries are significantly below as compared to the subject country.
- r. On one hand the interested parties have argued that the higher volume and low-priced imports from the subject country cannot cause injury but on the other hand, low volume but high price imports from non-subject countries can capture market share.

G.3 Examination by the Authority

- 38. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "*.... taking into account all the relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...*". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II to the Rules.
- 39. The Authority has taken note of the various submissions made by the domestic industry and the other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same as per the evidence available on record.
- 40. It has been contended that the domestic industry has undertaken capacity expansion and therefore depreciation and interest cost will be higher. However, no evidence was placed on record by any of the interested parties to establish that the capacity expansion has been undertaken for the domestic like product. The Authority notes that during the physical verification it examined the claims of the interested party and it was found that the capacity expansion being undertaken is at the industry's Dahej Location for another the product which is not PUC. The domestic like product is not manufactured at this site. The Authority has also examined the cost of production claimed by the domestic industry and it is seen that no costs pertaining to either the Dahej location or the capacity expansion has been charged by the domestic industry.
- 41. The other interested parties have argued that the domestic industry has set up excessive capacities which have inflated its cost of production. The issue was raised with the domestic industry during the physical verification to which the domestic industry has submitted that the capacities were set up considering the growth in the Indian demand and the export market but the demand in the period of investigation has declined because of excess rainfall. Further, the domestic industry has also claimed third country dumping by the producers of China PR, which has affected its capability to compete in the export market in addition to the dumping of subject goods from China PR in the Indian market. Resultantly its capacity utilisation has remained low. The Authority also notes that it has examined the depreciation cost of the plant where the product under consideration is produced. It is seen that the cost on account of depreciation in the total cost of sales is insignificant.
- 42. The interested parties have submitted that the applicant has stated in its annual report that its performance is 'reasonably good'. The Authority notes that the applicant has clarified that the statements made are in relation to the amines division as a whole and not just the product under consideration. The applicant has also provided a comparison of revenue from operations and profit of the amines division with the product

under consideration. It is seen that the profitability at the amines division level is reasonably good. However, it is to be noted that cost and profit pertaining to the product under consideration have been considered for the purpose of injury analysis.

43. As regards the performance in 2020-21, it has been clarified by the applicant that this period witnessed a shortage of raw materials as well as a significant increase in the prices of the raw materials. However, there was also significant rise in the volume of subject imports from the subject country as well as the non-subject countries. The applicant was also forced to suspend its production during this period due to shortage of raw materials and has resultantly suffered losses.
44. With respect to the submissions regarding the correlation between the trend in import price/price undercutting and profitability situation of the domestic industry, it is noted that while price undercutting is a function of net selling price of the domestic industry and the import price, the profits are a function of net selling price of the domestic industry and the cost of sales. It is noted that the landed price of imports (excluding anti-dumping duty) has been continuously below the cost of sales and the selling price of the domestic industry.
45. It has been contended that the domestic industry has deliberately kept its prices low as the landed price including anti-dumping duty is significantly higher and the domestic industry could have charged higher prices. In this regard, the Authority has analysed the monthly imports price vis a vis prices of the domestic industry. It would be seen that there are variations in the import prices over the period. Further, the domestic industry was able to increase its profits due to anti-dumping duty in existence.
46. The Authority notes the several submissions made by the other interested parties on the improvement in performance of the domestic industry. While injury analysis made by the Authority *ipso facto* addresses the submissions, the domestic industry has admitted that its performance has improved because of the anti-dumping duty. Prior to the imposition of the anti-dumping duties, the market share of the domestic industry was significantly low and it was suffering losses. However, subsequent to the imposition of the anti-dumping duties, the domestic industry has been able to improve its market share and has recorded profits. The Authority has carried out a detailed examination of the economic parameters of the domestic industry, to assess current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury.

G.3.1 Assessment of Demand

47. The Authority has determined the demand or the apparent consumption of the product in India, as the sum of domestic sales of the sole Indian producer, and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

S.N.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Domestic sales of applicant	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	167	125	161
2	Import from subject country	MT	1,834	696	2,058	529
3	Import from other countries	MT	45	317	1,649	161
4	Total Demand	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	123	153	113

48. It is seen that the demand of the product under consideration increased till the year 2020-21 but declined in the POI. The domestic industry has submitted that MIPA-70% is used in manufacturing of glyphosate (herbicide) which is used to remove weeds. The demand for glyphosate is seasonal in nature and there was excess rainfall in the POI and flood like situation in several parts of India which led to the decline in demand for glyphosate and consequently, impacted the demand for the product under consideration as well.

G.3.2 Volume effect of dumped imports

a. Import volume and share of subject country

49. The effect of the volume of dumped imports from the subject country as well as imports from other countries have been examined by the Authority as follows

S.N.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	China PR	MT	1,834	696	2,058	529
2	Other countries	MT	45	317	1,649	161
3	Subject country imports in relation to-					
A	Indian Production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	22	86	18
B	Indian Demand	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	31	73	26
C	Total Imports	%	98%	69%	56%	77%

50. It is seen that: -

- a. With the imposition of anti-dumping duties, imports from the subject country declined in 2019-20. The volume of subject imports has increased in 2020-21 but has declined again in the POI.
- b. The imports from the non-subject countries have also increased over the injury period.
- c. The volume of subject imports from the subject country as well as the non-subject countries increased in 2020-21 due to limited supply by the domestic industry because of the non-availability of raw material arising out of diversion of IPA for manufacturing hand sanitizers.
- d. The imports from the subject country have declined in both absolute terms and in relation to production and consumption in the POI.

G.3.3 Price effect of dumped imports

51. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.
52. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the subject country.

a. Price undercutting

53. In order to determine, whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the subject imports with the selling price of the domestic industry during the injury period.

S.N.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***
2	Landed Price	₹/MT	1,05,231	91,809	1,34,436	1,64,967
3	Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
4	Price Undercutting	%	***	***	***	***
5	Price Undercutting	%	30-40%	30-40%	25-35%	0-10%

54. It is seen that the landed price of the subject imports is below the NSR of the domestic industry resulting in positive price undercutting. The Authority has examined the transaction-wise DG Systems data and has found that 77% of imports are below the selling price of the domestic industry.

b. Price suppression / depression

55. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress domestic prices to a significant degree or prevent

increases in domestic prices which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period.

S.N.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	87	126	121
2	Gross Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	87	123	123
3	Landed Price	₹/MT	1,05,231	91,809	1,34,436	1,64,967
	Trend	Indexed	100	87	128	157
4	Landed Price with ADD	₹/MT	1,40,476	1,27,470	1,71,872	2,02,478
	Trend	Indexed	100	91	122	144

56. It is seen that throughout the injury period, the landed price of the subject imports has remained below the cost and the selling price of the domestic industry. The landed price of the subject imports and the cost and selling price of the domestic industry declined in 2019-20 at almost same rate but has increased thereafter in the year 2020-21 and has further increased in the period of investigation. The increase in landed price of the subject imports in the period of investigation is more than the increase in the cost and selling price of the domestic industry. It is also seen that increase in the selling price is marginally more than the cost of sales.

57. It is also seen that the landed price of the subject imports has been undercutting the selling price and the cost of sales of the domestic industry but the duty in force has ensured that such imports do not have any suppressing or depressing effect on the prices of the applicant.

G.3.4 Economic parameters of the domestic industry

58. Annexure - II to the Rules lays down that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products. The Rules further provide for an objective evaluation of all relevant economic parameters and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, production, capacity utilization and domestic sales

59. The capacity, production, capacity utilization and domestic sales over the entire injury period was as follows:

S.N.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Capacity Installed- Plant	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	100	100	100
2	Production- Plant	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	123	113	143
3	Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	123	113	143
4	Production- PUC	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	172	130	163
5	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	167	125	161

60. It is seen that: -

- a. The domestic industry has expanded its capacity after the imposition of anti-dumping duties. It is also noted that the capacity of the domestic industry is not dedicated for the PUC.
- b. The production, capacity utilization and domestic sales have improved after the imposition of the anti-dumping duties.
- c. The domestic industry is operating with idle capacities.

b. Market share

61. The market share of subject imports and the domestic industry over the entire injury period was as follows:

S.N.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	136	82	143
2	Subject country imports	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	31	73	26
3	Other countries imports	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	573	2,405	319

62. It is seen that post imposition of anti-dumping duties the market share of the domestic industry has increased and that of dumped imports from the subject country has declined. However, it is seen that the dumped imports have held a significant market share during the injury period. Despite a decline in the volume of subject imports from the subject country in the POI, the dumped imports continue to hold considerable market share.

c. Profitability, cash profits and return on investment.

63. Information with respect to profitability, return on investment and cash profits was as follows:

S.N.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	87	126	121
2	Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	87	123	123
3	Profit / Loss	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	102	(765)	782
4	Profit / Loss	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	171	(956)	1257
5	Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	197	1	272
6	PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	75	(278)	404
7	ROCE	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	52	(178)	215

64. It is seen that

- a. With the imposition of anti-dumping duties, the applicant has been able to improve its profitability.
- b. The profit per unit has increased in 2019-20 but the domestic industry suffered losses in 2020-21. It has been submitted that the losses suffered in 2020-21 were due to unavailability of raw material and lockdown imposed by the Government of India.
- c. The performance of the domestic industry has improved in the POI and the domestic industry has posted significant profits. However, the level of profits earned by the domestic industry over the injury period are low. It is also to be noted that the volume of subject imports in the POI were the lowest.
- d. The cash profit of the domestic industry increased in 2019-20 but declined in 2020-21 and improved in the POI.
- e. The return earned by the applicant continues to remain low but is above the base year level.

d. Inventories

65. Information with respect to inventories is as follows:

S.N.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Opening Inventory	MT	***	***	***	***
2	Closing Inventory	MT	***	***	***	***
3	Average Inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	238	493	691

66. It is seen that the average inventory of the applicant has increased throughout the injury period. However, as the production of the PUC is undertaken on a campaign basis, the increase in the inventory may not be attributable to the subject imports.

e. Productivity, employment and wages

67. Information with respect to productivity, employment and wages over the injury period is as under:

S.N.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	No of employees	Nos	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	101	104	102
2	Salary & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	165	188	170
3	Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	172	130	163
4	Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	170	126	160

68. Productivity, salary & wages and employment have increased over the injury period. The domestic industry has however not claimed any deterioration in respect of these parameters.

f. Ability to raise capital investment

69. It is seen that the ROCE earned on investments already made have been very low.

g. Magnitude of dumping margin

70. It is seen that the dumping margin is more than *de minimis* and dumping has continued.

h. Growth

71. The information with respect to growth of the applicant with respect to the base year is given below:

S.N.	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	POI
1	Production	Y/Y	72%	-24%	25%
2	Sales	Y/Y	67%	-25%	29%
3	Profit/(Loss) per unit	Y/Y	2%	-847%	202%
4	Inventory	Y/Y	138%	107%	40%
5	Market Share	Y/Y	36%	-40%	75%
6	Profit/(Loss) before tax	Y/Y	71%	-657%	232%
7	Cash Profit	Y/Y	97%	-100%	33271%
8	PBIT	Y/Y	-25%	-471%	245%
9	ROI	Y/Y	-48%	-443%	221%

72. It is seen that the growth of the domestic industry has been positive in the period of investigation. The applicant gained volumes post imposition of the anti-dumping duties. It is noted that the year 2020-21 was an abnormal year due to lockdown and non-availability of the raw materials. The growth of the domestic industry was negative as compared to 2019-20.

G.4. Conclusions on continuation of injury

73. The examination of the imports of the subject goods from the subject country and their impact on the performance of the domestic industry shows that the volume of dumped imports from the subject country has declined post imposition of the anti-dumping duties. The imports are below the selling price and the cost of sales of the domestic industry. However, the anti-dumping duty has ensured that the imports do not have any suppressing or depressing impact on the prices of the domestic industry. It is also seen that post imposition of the anti-dumping duty on the dumped imports, the domestic industry has been able to increase its market share and improve its production and sales. However, the domestic industry is still operating with idle capacities. It is also seen that the domestic industry was earlier suffering losses, but its performance has improved as it has been able to record profits, cash profits and a positive return on capital employed. However, the return earned by the domestic industry continues to remain low. Even though the volume of subject imports has declined, their landed price is materially below the selling price of the domestic industry preventing it from charging adequate remunerative prices. Therefore, the Authority concludes that the domestic industry has recovered from the past ill effects from dumping but its situation continues to remain vulnerable.

H. CAUSAL LINK

74. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third country

75. It is seen that the imports from the subject country hold 77% share in the total imports. There are also significant imports from the United States of America and Germany which hold 23% share in the total imports. The import price of subject imports from the non-subject countries is higher than China PR and is above the non – injurious price of the domestic industry.

b. Contraction in demand and / or change in the pattern of consumption

76. The demand of the product under consideration declined in the year 2019-20 but has increased thereafter. The demand for the subject goods has increased over the injury period but has declined in the POI.

c. Trade restrictive practices

77. The Authority notes that there are no trade restrictive practices, which could have caused injury to the domestic industry.

d. Development of technology

78. The Authority notes that the technology for production of the subject goods has not undergone any change.

e. Export performance

79. The Authority notes that the domestic industry is not under export market and therefore, export performance cannot be a cause of injury.

f. Performance of other products

The Authority has considered the data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, performance of other products produced and sold by the domestic industry cannot be a possible cause of injury to the domestic industry, if any.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

80. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules.
81. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below. Further, separate injury margin has been determined for bulk and packed goods.

S.N.	Particulars	Type	NIP USD/MT	Landed price USD/MT	Injury margin		
					USD/ MT	%	Range
1	Any producer	Bulk	***	***	***	***	0-10%
		Packed	***	***	***	***	0-10%
		Weighted average	***	***	***	***	0-10%

J. LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**J.1 Submissions made by other interested parties**

82. The submissions of the other interested parties with regard to likelihood of recurrence of dumping and injury are as under: -
- The likelihood of recurrence of injury must be based on 'facts and not merely allegation, conjecture or remote possibility'. The circumstances warranting such measures must be 'clearly foreseen and imminent'⁵.
 - The investigating authority is required to provide a reasoned and adequate explanation as to how the evidence on record supports a situation of injury arising in the imminent future.⁶
 - The legal standard for a sunset review is to establish whether or not cessation of duty would lead to continuation or recurrence of injury. An influx of imports is not per se barred by law.
 - A recommendation for continuation of duties cannot be made unless the applicant demonstrates likelihood of dumped and injurious imports.

⁵ *Indian Spinners Association v. Designated Authority* 2004 SCC OnLine CESTAT 2829.

⁶ Para. 7.277 United States - Anti-Dumping and Countervailing Measures on Certain Coated Paper from Indonesia - Panel report, WT/DS491/R.

- e. Despite an increase in demand of the PUC, subject imports from China PR constitute a negligible share.
- f. The domestic industry's claims regarding surplus capacities in China PR cannot be merely based on 'market research'. It must provide complete information regarding the same.
- g. The articles submitted by the domestic industry state the total capacity of the producers from China PR and it is not specific to the production of the PUC. As stated by the applicant itself, the capacities can easily be diverted to produce other products, it is unclear as to how the capacity expansion plans can be used only for the production of MIPA.
- h. The applicant has computed third country dumped and injurious imports on the basis of normal value constructed as per the USA's export price which is not an appropriate benchmark.
- i. China PR's total exports constitute only 11% of its total capacity and such a small share of exports cannot make these producers export oriented.
- j. China PR's exports of the product under consideration to India constitute only 3-4% of its total exports.
- k. The demand for MIPA in China PR is expected to increase significantly as China's metalworking sector is increasing rapidly, which has forced the manufacturers to produce high-quality MIPA in the region.
- l. The global mono-isopropanol amine industry was pegged at \$82.2 million in 2020, and is expected to reach \$140.8 million by 2030, growing at a CAGR of 5.6% from 2021 to 2030.⁷
- m. Every seller of a commodity is interested in maximizing their margin and profits. If the sales can be transferred to India at a higher price, there is no reason for the seller to sell the product under consideration at considerably lower prices.⁸
- n. The largest market for producers from China PR is Malaysia where the export price for the product under consideration is USD 1.1/Kg as opposed to USD 1.4/Kg in India. Since the anti-dumping duty imposed is a fixed duty, the producers from China PR could have clearly lowered their prices to that level to attract large section of the market.
- o. No anti-dumping duty is currently imposed by other countries on the PUC.

J.2 Submissions made by the domestic industry

83. The submissions of the domestic industry with regard to likelihood of recurrence of dumping and injury are as under: -
 - a. The continuation of dumping of the subject goods by the producers of the subject country even after the imposition of anti – dumping duties in itself establishes the likelihood of continuation of dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duty.
 - b. The Authority is compulsorily required to initiate sunset review in order to examine whether cessation of duty is likely to lead to continuance or recurrence of injury⁹.
 - c. The producers from China PR have been dumping the subject goods not only in the Indian market but also in other countries. The dumping margin for such producers is as high as 76 %. The high dumping margin also demonstrates that producers in China PR have significant surplus capacities.
 - d. More than 80% of the exports to third countries are below the export price to India and the price undercutting with respect to such exports is 28%.
 - e. The producers from China PR export the product under consideration to more than 40 countries and exports to major destination is below the export price to India.
 - f. The volume of diversifiable exports to India is 2.5 times the domestic demand.

⁷ Chidanand B, Nikil M, Eswara P "Monoisopropanolamine Market by End-Use Industry: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2030" Allied Market Research, available at <<https://www.alliedmarketresearch.com/monoisopropanolamine-mipa-market-A15679>> last accessed November 11, 2022.

⁸ Chidanand B, Nikil M, Eswara P "Monoisopropanolamine Market by End-Use Industry: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2030" Allied Market Research, available at <<https://www.alliedmarketresearch.com/monoisopropanolamine-mipa-market-A15679>> last accessed November 11, 2022.

⁹ For details see Annexure – D of the non -confidential application of the domestic industry.

- g. The volume of likely dumped and injurious exports to third countries which are below the export price to India is 248 %.
- h. The producers in China PR have very high capacities and are utilizing these to various global markets. The producers have listed all major countries as their sales market. Zhejiang Jianye Chemical Co Ltd has a capacity of 120 KT, Anhui Haoyuan Chemical Group Co., Ltd. has a capacity of 30 KT and are exporting globally.
- i. The producers from China PR have been exporting to more than 40 countries. However, prior to the imposition of duty, Indian exports accounted for 17% share in the total exports from China PR.
- j. The applicant competes with the imports directly based on prices. If the duties are not extended, it will have adverse volume and price effects on the performance of the applicant and it would have suffered financial losses, negative return and cash losses.
- k. The average capacity utilization of producers from China PR is only 50%. The applicant has already argued that the producers in China PR have capacities far higher than the demand in the country. What is required to be seen is the availability of freely disposable capacities with the producers from China PR and the export orientation of these producers with regard to their production.
- l. The sole reason behind the low share of China PR in total exports is the extant anti-dumping duty.
- m. The evidence relied on by the other interested parties claiming absence of surplus capacity in the subject country pertains to mono-isopropanol amine, an entirely different product.
- n. The user industry has relied on unconnected reports for their claims. No material has been brought forward to show that the demand of MIPA is expected to increase in China PR.
- o. The applicant has provided evidence pertaining to capacity expansion plans to be undertaken by Zhejiang Jianye for low carbon fatty amine (which includes the PUC).
- p. Regarding the other interested parties' submission with respect to low priced imports to Malaysia, it is submitted that this fact clearly establishes that India is a price attractive market and producers from the subject country would divert their exports to India in the absence of anti-dumping duty.
- q. Regarding the other interested parties' submissions with respect to the domestic industry witnessing a jump in its top line and operating margins, it is submitted that the statements pertain to acetonitrile amine and methanol amine, whose raw material is entirely different from the product under consideration.
- r. The contribution of the product under consideration in total revenue has been marginal in comparison to other segments.

J.3 Examination by the Authority

- 84. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of the subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- 85. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties.
- 86. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, clause (vii) of Annexure II to the Rules provides, *inter alia*, factors which are relevant for threat of injury and the same factors may be used for likelihood analysis in a sunset review as well. Further, these are non-exhaustive list of parameters relevant for the determination of likelihood:
 - a. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
 - b. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
 - c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - d. Inventories of the article being investigated.

87. The Authority has examined various indicators relevant to the assessment of likelihood of injury to the domestic industry, having regard to the above listed parameters. Further, the Authority has also examined other relevant factors which could have a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.
88. The domestic industry has provided that the even though the product under consideration does not have a dedicated customs classification in India, it has a dedicated customs classification in China PR. The applicant has claimed that the product is exported under the code 292119 20. It is seen that the code considered by the domestic industry is for isopropyl amine which the applicant has claimed is another name for the product under consideration. Since no producer from China PR has participated in the present investigation and even the participating interested parties have not disputed this claim of the domestic industry, the Authority has considered the trade data of 292119 20 to examine the trend of exports to other countries.
89. The other interested parties have claimed that the demand of the product under consideration in China PR is expected to increase significantly and therefore, the producers from China PR will not divert the surplus production to India. The Authority notes that the evidence provided by the interested parties pertains to monoisopropanolamine which is not the product under consideration.

J.3.1 The level of current dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation

90. In order to examine the rate of increase in imports which could indicate the likelihood of further increase, the Authority has examined the trend of volume of imports over the injury period, both in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

S.N.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	China PR	MT	1,834	696	2,058	529
2	Subject country imports in relation to-					
a	Indian Production	%	***	***	***	***
b	Indian Demand	%	***	***	***	***
c	Total Imports	%	100%	100%	100%	100%

91. It is seen that the volume of imports from China PR have declined in 2019-20 but have registered a steep increase in 2020-21. The volume of imports has declined again in the period of investigation. The imports from the subject country continue to hold a considerable share in the demand in the country.

J.3.2 Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports

92. The Authority has considered the imports in the period of investigation, the cost of production, and the selling price of the domestic industry in order to examine if imports are likely to have a depressing or suppressing effect on the domestic prices.

S.N.	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	POI
1	Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	87	126	121
2	Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	87	123	123
3	Landed Price	₹/MT	1,05,231	91,809	1,34,436	1,64,967
	Trend	Indexed	100	87	128	157

93. It is seen that the landed price of the subject imports has been below the cost and selling price of the domestic industry throughout the injury period. The Authority has also examined the transaction-wise DG Systems data and has found that 77% of imports are below the selling price of the domestic industry and 76% imports are below the non-injurious price of the domestic industry.

94. During the on-site verification, the domestic industry has also submitted evidence of quotes citing the significantly low prices offered by the producers from China PR to the user industry for the PUC. It is noted that these prices are significantly below the cost of production of the domestic industry. If the anti-dumping duties are not extended, the imports will undercut the cost as well as the selling price of the domestic industry, thus, showing that imports are likely to have a suppressing/depressing effect on the prices of the domestic industry if there is no anti-dumping duty in force.

J.3.3 Significantly high capacities and capacity expansion

95. The domestic industry has provided evidence that Zhejiang Jianye, a producer in China PR is expanding its capacity by 25,000 MT for low-fatty amines which includes the product under consideration. The domestic industry has submitted that globally all aliphatic amines producers set up plants for production of low fatty amine and majorly produce the product under consideration.

J.3.4 Third country dumping

96. Information with respect to third country dumping is given below.

S.N.	Dumped exports to third country	Total exports to third country	% of dumped exports	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range
1	16,743 MT	16,885 MT	99%	74%	70 - 80

Source – Exports from China PR as per Trademap data.

97. It is seen that the entire exports to third countries are at dumped prices. Further, it is also seen that dumping margin is 76%.

J.3.5 Third country injurious exports

98. Information with respect to third country injurious exports is given below.

S.N.	Exports to other countries below NIP	Total exports to third country	% of injurious exports	Injury margin (%)	Injury Margin Range
1	16638MT	16,885 MT	99%	52%	50-60

99. It is seen that the almost the entire exports to third countries are at prices below the non-injurious price to India. The injury margin in respect of these exports is 60%.

J.3.6 Price attractiveness

100. A comparison between the export price from China PR to India and China PR to third countries is given below:

S.N.	Month	Price to India Rs/KG	Price to other countries Rs/KG	Difference Rs/KG
1	2021-M04	94.47	99.09	-4.62
2	2021-M05	104.07	101.64	2.43
3	2021-M06	114.32	92.96	21.36
4	2021-M07	91.72	84.97	6.75
5	2021-M08	136.7	87.9	48.8
6	2021-M09	98.99	75.75	23.24
7	2021-M10	0	83.18	-
8	2021-M11	136.88	89.53	47.35
9	2021-M12	129.77	104.45	25.31
10	2022-M01	138.56	95.1	43.47
11	2022-M02	142.16	97.84	44.32
12	2022-M03	106.03	110.81	-4.79
13	Total	104.6	93.19	11.41

Source: Trademap data

101. It is seen that the average export price of the subject goods to other countries is below their export price to India which shows that Indian market offers better prices. Further, the Authority has compared the monthly average export price of subject goods to India from China PR with export price of the subject goods to individual countries from China PR to determine the share of exports which are below the export price to India. It is seen that 82% of the exports to third countries are at prices below the export price to India which shows that there is a strong likelihood of diversion of exports of the subject goods to India should the anti-dumping duty is revoked.

J.4. Conclusions on likelihood of injury

102. The examination of the parameters pertaining to likelihood of injury shows that the imports from the subject country are priced significantly below the cost and the selling price of the domestic industry. In the absence of the extant anti – dumping duties, the subject imports from the subject country would have had significant suppressing/depressing impact on the prices of the domestic industry. It is also seen that if the domestic industry is forced to match its prices with the import price, it would be selling at prices materially lower than its cost of production. The Authority also notes that the fact that the producers from China PR are undertaking capacity expansion and that exports from China PR to third countries are at prices below the export price to India which establishes that there is likelihood of increase in imports to India. Further, the fact that the producers from China PR are exporting goods at dumped prices to third countries also demonstrates the predatory nature of pricing practiced by producers from China PR. Therefore, the Authority concludes that there is a likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duties.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

K.1 Submissions by the other interested parties

103. The following submissions have been made by the other interested parties during the course of the investigation: -
- a. The absence of options does not make for a healthy and competitive market and will result in downstream producers having to rely on only the applicant.
 - b. The levy of anti-dumping duty has substantially increased the imports of the downstream product.
 - c. There is no consistency in the claims of the applicant. While the consumption of MIPA is denoted in liters of glyphosates, the impact has been assessed in terms of kilograms.
 - d. The impact calculated by the applicant is incorrect. The prices for downstream products as mentioned in application are incorrect and are unsubstantiated by evidence.
 - e. The continuation of anti-dumping duties is likely to make day-to-day cost of food more expensive for the common man and affect food security in the country.
 - f. The downstream industry products are used by millions of farmers. A sharp increase in cost is likely to affect several livelihoods and is likely to hamper the goal of 'atmanirbhar bharat'.
 - g. The levy of anti-dumping duty has substantially increased the import of downstream product Atrazine Technical.
 - h. The applicant is the sole producer of MIPA in the country and its share has been increasing with every passing year. The continuation of the existing anti-dumping duties will kill healthy competition in the country.
 - i. The domestic industry's plant shut-down caused tremendous supply chain disruptions, especially in FY 2020-21. In order to de-risk the supply chain from such disruptions, downstream users have focused on relying on more than a single source of supply.
 - j. With respect to adverse price impact calculated by the applicant, it is submitted that the applicant has calculated price undercutting on the basis of positive transactions only which is akin to zeroing, a practice which has been held to violative of the WTO Agreement on Anti – dumping.
 - k. The users fail to understand the nexus drawn by the applicant between the fluctuating prices and the continuation of anti-dumping duties.

K.2 Submissions by the domestic industry

104. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation: -
- a. The Authority has provided economic interest questionnaire to all the interested parties at the initiation stage itself. However, the user industry has not filed relevant information.

- b. The failure of the user industry to provide relevant information implies that the extension of anti-dumping duties will not have any adverse impact
- c. The import prices of the subject goods from China PR have fluctuated from Rs. 124/Kg to Rs. 230/Kg in the POI. When such significant movement in the price of goods did not have significant adverse impact on the user industry, the anti-dumping duty should hardly have any significant impact on the user industry.
- d. The share of the product under consideration in the raw material cost of Atenolol is 20%, in Glyphosate is 11% and Atrazine 97% Tech. is 22%.
- e. The share of the product under consideration in the price of Atenolol is 0.11%, in Glyphosate is 4% and Atrazine 97% Tech. is 7.4%.
- f. The impact of anti-dumping duty on the final end product Glyphosate 41% is 0.90%, Atenolol (10 cap.) is 0.08% and Atrazine 50% WP is 1.58%.
- g. The participating user industry are producers of Atrazine Technical, who are now protected from the benefit of countervailing duty imposed on the imports of Atrazine from China PR.
- h. The plant of the applicant is not solely dedicated to the production of the product under consideration and other products can be manufactured on it. The continued adverse impact can lead to stoppage of production of the product under consideration as the applicant will be forced to switch to other products.
- i. The capacity with the applicant is sufficient to cater to the entire demand in India and there is no demand and supply gap. As against the demand of *** MT, the applicant has a capacity of ***MT.
- j. There are significant imports of the product under consideration from the United States of America as well with which the domestic industry will be required to compete with.
- k. The present anti-dumping duty did not restrict imports. Imports are still significant in volumes.
- l. The only year the volume of imports saw a sharp increase was in 2020-21. However, the imports declined in 2021-22 and have further declined sharply in the period April to September 2022.
- m. The user industry will have to maintain higher degree of inventory if they have to depend on imported material. In case the user industry procures from the domestic industry, inventory holding can be reduced.
- n. The viability of the user industry cannot be dependent on access to raw material at dumped prices.

K.3 Examination by the Authority

105. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with respect to the present investigation, including the possible effects of the anti-dumping duties on their operations. The Authority sought information on, *inter-alia*, the interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the consumers to switch sources, the effect of anti-dumping duties on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the anti-dumping duties.
106. The Authority had prescribed an Economic Interest Questionnaire which was sent to all interested parties to this review investigation. Both the domestic industry as well as the user industry has provided information sought in the Economic Interest Questionnaire. The applicant has supplied information related to the domestic industry as well as the user industry in its Economic Interest Questionnaire.
107. It is noted that the purpose of anti -dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the continuation of the anti-dumping duties might affect the price levels of the subject goods as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the continuation of anti -dumping measures would prevent the decline of the domestic industry that may ensue as a consequence of low-priced subject imports from the subject country and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the subject goods.
108. It is seen that the domestic industry as well as the downstream industry have provided the impact of continuation of the anti-dumping duty. While the downstream industry has provided impact of anti-dumping duty on its cost and selling price, the domestic industry has provided the impact of anti-dumping duty on the eventual end consumer. The Authority has examined the impact of anti-dumping duty provided by both the domestic industry and the downstream industry.

109. The downstream industry has in its impact of anti-dumping duty considered the residual amount of anti-dumping duty. However, the Authority notes that when there have been continuous imports from co-operative producers of the original investigation, the domestic industry would not have been able to charge the residual amount of anti-dumping duty. Therefore, any price increase or decrease in the price of the product would not have happened by the highest amount of anti-dumping duty. It is also seen that the net selling price of the domestic industry is lower than the landed price of imports after considering the lowest amount of anti-dumping duty which shows that the domestic industry has not charged the full duty amount in its prices. Therefore, considering the anti-dumping duty equal to residual rate of duty will not be appropriate. Nevertheless, the Authority has also analysed the impact on the domestic industry after taking into account ADD on cooperating producers and exporters, as well as ADD on the residual exporters.
110. The Authority examined the impact of anti-dumping duty on the cost of downstream industry. It is seen that the conversion cost as claimed by the participating downstream users for the same product are materially different and cannot be relied upon. Therefore, the impact of anti-dumping duty on the cost of downstream industry cannot be quantified upon based on conversion cost as provided by downstream industry. However, the domestic industry has provided impact of anti-dumping duty based on prices of the downstream products. The share of the product under consideration in per unit production of Glyphosate 41% and Atrazine Technical are 0.17 KG and 0.39 KG respectively as provided by user industry.
111. Considering the prices of the downstream products as provided, average consumption norms provided by the downstream industry and the lowest anti-dumping duty imposed, it is seen that the impact of anti-dumping duty on the prices of the downstream industry is around 2% to 3%. Further, the Authority has also examined the impact of anti-dumping duty on the final end consumer which is found to be around 1.5% to 2% for Atrazine, 0.09% for Glyphosate and 0.08% for Atenolol.
112. The Authority also notes that the imposition of anti-dumping duty will not lead to non-availability of the subject goods for the consumers. Further, the anti – dumping duties will not restrict imports from the subject country as the imports have continued even after imposition of duty since 2018. It is also noted that there are significant imports from the non-subject countries and there is no demand - supply gap in the country and the domestic industry has sufficient capacity to cater to the entire Indian demand.
113. To ensure the continued availability of a competitive domestic product, it is necessary that the domestic industry also remain viable at fair prices failing which the users would become increasingly dependent on the dumped imports.

L. POST-DISCLOSURE COMMENTS

L.1 Submissions of the other interested parties

114. The submissions made by the other interested parties on the disclosure statement are as below:
- Insecticides India Limited duly submitted written submissions and rejoinder but its name has not been covered in the disclosure statement.
 - The Authority has not addressed the manner in which domestic industry has complied with the requirement of Trade Notice No. 10/2018 dated September 7, 2018.
 - The Authority has failed to address how the present situation is an extraordinary one for extension of duties considering domestic industry has made remarkable progress.
 - Users had provided examples of inconsistency and unreliability of the information relied upon by the domestic industry for surplus and idle capacities. The Authority has not addressed any of the users' arguments concerning the same.
 - The Designated Authority is a quasi-judicial body, and is bound by the principles of natural justice, which require the Designated Authority to address the arguments of all parties and provide a reasoned order.
 - The Authority is requested to verify the cost allocation and the impact of the applicant's expansion projects on their cost.
 - As per the domestic industry's Annual Report 2021-22, there are three expansion projects ongoing at the Kurkumbh, and Patalganga plants, as well as at other locations apart from the Dahej location.
 - Capacity expansion by the domestic industry is for all aliphatic amines, and product under consideration is also an aliphatic amine. It is possible that even though the plant is not being set up particularly for the PUC, the plant can potentially be used for the production of the PUC.

- i. It was not the Users' submission that the domestic industry has 'excess' capacities, but instead that capacity expansion has led to increase in costs.
- j. Domestic industry's capacity utilisation has increased by almost 55% in the POI as compared to the base year, despite facing a slump year in 2020-21.
- k. In 2020-21, the demand for the PUC witnessed an increase but the domestic industry's plant was shut down and it was unable to independently cater to the demand. This led to increase in import volume in 2020-21 majorly from the non-subject countries.
- l. Domestic industry has argued that there has been a price effect of the subject imports on its business and it becomes important to compare its profitability to price undercutting. There is no correlation between the alleged price undercutting and profitability of the domestic industry.
- m. Prices of the subject goods are higher when they are imported through programs such as Advance Authorization. Since programs such as Advance Authorization, SEZ, EOU, etc. do not require the importers to pay anti-dumping duty on the imports, the Chinese exporters are in a position to sell the products at a higher price.
- n. Domestic industry was in a position to increase its selling price, but it chose to sell at a lower price. Both the price underselling and the price undercutting as calculated is in the range of 0-10%.
- o. The imposition of anti-dumping duty is to remove injury to the domestic industry and bring it at a level playing field with the imports. In the present situation, the domestic industry has multiplied its growth and profits.
- p. There has been little to no reduction of demand of Glyphosate during the injury period. While most agrochemical products are seasonal in nature, glyphosate is consumed consistently around the year.
- q. Duty free imports were imported at a price higher than other imports and most of the imports are made through these schemes. The anti-dumping duty is almost redundant. Despite this, the domestic industry has improved its economic parameters tremendously.
- r. Authority must assess the price effect of anti-dumping duty free imports for a holistic assessment.
- s. The domestic industry is suffering with erratic cost fluctuations owing to high cost of raw materials, plant shut-downs in 2020-21 and high-capacity costs. Despite this, it has been able to consistently moderate price. This shows that the domestic industry has not suffered any price injury.
- t. Domestic sales of the domestic industry have increased in line with the production. Since the plant is not dedicated for PUC, idle capacities can be attributed to the performance of other products.
- u. 10% market share of the Chinese imports cannot be considered significant when the sole domestic producer has a market share of over 85%.
- v. With increase in domestic sales, production, capacity utilization and market share and a decrease in the market share of the subject imports, there is no reason for an increase in the domestic industry's inventory.
- w. Article 11.3 of the WTO Agreement on Anti-dumping requires the Authority to determine whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. This nexus must be clearly demonstrated.
- x. The Authority has overlooked the main argument of the users pertaining to the low possibility of imports from China PR being diverted to India as the producers from China PR do not seem to be strategically interested in selling to India for factors other than price.
- y. A large portion exports from China PR is at a price lower than India. The producers from China PR could have further decreased the prices for India but did not do so.
- z. There is sufficient evidence to indicate the increase in the demand of the PUC in China as well. For example, there has been an increase in production capacity and new investments have been made in products such as glyphosate, which is a downstream product of the PUC. It is expected that with the advent of genetically modified crops in China, there could be an increase in demand in glyphosate by nearly 150,000 tons.
- aa. The Authority should direct the domestic industry to share the evidence regarding lower quotes with the users as users cannot comment without reviewing the evidence produced.
- bb. Low fatty amines are a broad category of products and does not necessarily pertain to the PUC. Consideration of the evidence will be contradictory to the Authority's own finding of not considering expansion of capacity for aliphatic amines by the domestic industry to be related to the PUC.

- cc. Mere existence of surplus capacities is not sufficient to establish likelihood of recurrence of injury.
- dd. The Authority has failed to engage with the submissions of the user industries regarding likelihood of recurrence or continuation of dumping and injury.
- ee. Meghmani and Sumitomo are different companies and may adopt different calculation and reporting methodologies. The raw material cost of other raw materials used by the companies is different, resulting in the difference in conversion costs.
- ff. Users should have received an opportunity to comment on the rejection of its data on account of any discrepancy.
- gg. Users are unclear regarding the calculation of 'impact of anti-dumping duty on final end customer.' Basis of such calculations should be shared.
- hh. Due to various developments in the global market over the past year, prices of other raw materials consumed in the downstream products have declined whereas the share of the PUC in cost of production has significantly increased. The impact of anti-dumping duties on the cost of production on the downstream industries is likely to be higher as compared to the projected impact.
- ii. The domestic supply of the PUC has remained erratic. In 2020-21, when the domestic industry faced plant shut-down, users suffered tremendously since there were not many other sources of procuring the PUC.
- jj. The present anti-dumping duty on MIPA has resulted in an inverted duty structure for many of the downstream products. This results in an influx of imports of finished products, severely injuring the user industry.
- kk. The extension of the present anti-dumping duty would be an exploitation of the protection granted to the domestic producer of MIPA and would destroy the businesses of the domestic producers of the MIPA's downstream products.
- ll. The Designated Authority is a quasi-judicial body, and is bound by the principles of natural justice, which require the Designated Authority to address the arguments of all parties and provide a reasoned order. This position has been affirmed by the Hon'ble Supreme Court in *Automotive Tyre Manufacturers Association v. The Designated Authority and Ors.*

L.2 Submissions of the domestic industry

115. The submissions made by the domestic industry on the disclosure statement are as below:

- a. The Authority should consider the impact dumped imports would likely cause on the domestic industry. If the domestic industry is forced to match the import price, it would suffer financial losses, cash losses and a negative return on capital employed.
- b. All exports from the subject country to third countries for the entire injury period are below the non-injurious price of the domestic industry.
- c. Restricting the quantum of the anti-dumping duties to the level of current injury margin will not prevent diversion of injurious exports to the Indian market.
- d. The dumping margin over the injury period is as high as 70%.
- e. Injury margin over the injury period was in the range of 35-40%.
- f. The domestic industry is still vulnerable to dumped imports and there is a need for continuation of duties. The current level of price undercutting from the subject country and the low profits of the domestic industry clearly indicates that there is a need for continuation of duty.
- g. If the Authority re-determines the anti-dumping duty based on the current level of dumping and injury margin, the re-determined duties will not completely serve the intended purpose as the domestic industry will not be able to earn desired return.
- h. Almost 100 % of the subject imports in years 2018 – 19, 2019 – 20 and 2020 – 21 have been imported at prices which even after addition of anti-dumping duty based on current margins, will be below the non-injurious price of the domestic industry.
- i. Almost 100 % of the subject imports in years 2018 – 19, 2019 – 20 and 2020 – 21 have been imported at prices which even after addition of anti-dumping duty based on current margins, will be below the selling price of the domestic industry.
- j. The prices of the subject goods have varied significantly to the extent of 36% and injury margin in respect of these imports is significantly above the weighted average injury margin.

- k. In a situation where imports have occurred at significantly varying prices at or around the same month and within the investigation period itself, the domestic industry concern is the low-priced imports and not the high-priced imports.
- l. The Authority has found that entire exports to third countries are at dumped prices and 99% of the exports are at injurious price. These exports reflect the likely margins in the event of expiry of duties.
- m. A plain reading of the law and global practice makes it evident that the scope of sunset review is mere extension of existing duty, and not modification of the existing duties.
- n. The purpose of sunset review is not fresh determination of dumping margin or injury margin but to provide relevant data to the Authority to examine the likelihood of injury.
- o. If any party seeks re-determination of dumping or injury margin, it must approach the Authority with a mid-term review investigation.
- p. The anti-dumping duties have been in existence since 2018. The impact of the said duties on the end consumers will not be a new phenomenon. Any impact which would have occurred, has already occurred during the present duty period itself.
- q. The significant difference between the duty impact assessment provided by the domestic industry and the downstream industry shows that there exists significant difference between the selling price of the downstream industry and the final price to the ultimate consumer. Even if it is accepted that the anti-dumping duty has any impact on the prices of the downstream industry, they are free to increase their prices. Further, the impact on the end consumer is negligible.
- r. The fact that there have been significant imports of the subject goods from the non-subject countries in the year 2020-21, shows that the other sources can supply to the Indian market if the downstream industry desires.

L.3 Examination by the Authority

- 116. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry, and the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the disclosure statement. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
- 117. The Authority notes the submission from the other interested parties regarding the appropriateness of the capacity expansion information pertaining to a producer from Zhejiang which can be used for producing all kinds of low fatty amines. In this regard, the Authority notes that given the fact that the PUC does not require a dedicated capacity for production and these industries mostly produce several kinds of amine within the same plant, it is not possible to separately assess the information pertaining to PUC unless evidence is brought forth regarding the same. It is further noted that the user industry has not brought any evidence which can help in specific assessment of the capacity dedicated for the production of the PUC.
- 118. The other interested parties have submitted that no conclusion as to existence of likelihood can be reached merely on grounds of surplus capacities. In this regard, it is noted that the Authority has analysed the existence of likelihood parameters as laid down in para vii of Annexure – II to the Rules. Accordingly, the Authority has analyzed the volume as well the injury margin of exports from China PR being sold in third countries at prices below the NIP of the domestic industry. Similarly, the Authority has also determined the volume as well as the dumping margin of subject goods sold at dumped prices in third countries. The Authority has also assessed the price attractiveness of the Indian market. The determination of existence of likelihood has been reached after analysing the above stated factors.
- 119. Regarding the submissions of the other interested parties with respect to several capacity expansion projects undertaken by the domestic industry, it is noted that the applicant has submitted that it produces the PUC only at its Patalganga site. Further, as stated above, none of the costs pertaining to the capacity expansions unrelated to the PUC have been allocated to the cost of the PUC.
- 120. With respect to the submissions regarding the improvement in economic parameters of the domestic industry, the Authority notes that it has already examined the economic parameters of the domestic industry in the disclosure statement. The performance of the applicant has improved after the imposition of the anti-dumping duties. While the applicant was earlier suffering losses, the anti-dumping duties have allowed it to recover.
- 121. The other interested parties have commented regarding non-compliance by the applicant of the Trade Notice No. 10/2018. It is noted that vide Trade Notice No. 05/2021 the application proforma for domestic

- industry was changed. The parameters such as R&D expenses, average industry norms, funds raised, cost of sales per unit etc. do not form part of the proforma as per Trade Notice No. 05/2021. Therefore, the applicant has not submitted the same as part of its application.
122. The other interested parties have submitted regarding the non-reliability of the market – research-based information related to surplus and idle capacities of the PUC in China PR. It is noted that the Authority has not considered the market research-based information provided by the domestic industry on surplus capacity.
123. As regards the submission that the demand of the subject goods is likely to increase in China owing to increase in the downstream industry, the Authority notes that disclosure statement is not the stage to bring in new facts. The other interested parties should have provided evidence regarding increase in demand prior to the issuance of the disclosure statement. The Authority has, however, perused the evidence submitted by the other interested parties regarding the increase in demand of the PUC in China PR as a consequence of increase in demand for glyphosate, an end product. It is noted that the author of the article has not disclosed information regarding the methodology used for arriving at such numbers. Further, whether the conclusions are based on credible sources of information is also not clear. Therefore, in view of the above, in addition to the submission of the information at the post-disclosure stage, the Authority cannot consider the evidence brought forward by the user industries.
124. As regards the contention of the user industries pertaining to the rejection of their data, the Authority notes that the entire information provided by the user industries has not been rejected. The user industry had provided impact of the anti-dumping duties on its cost of production and on selling price. On perusal of the information submitted on record, it was found that the conversion cost of the end product manufactured by the two user industries differs significantly. While one user provided conversion cost of Rs ** per litre, the other user provided conversion cost of Rs ** per KG. The Authority called the information with respect to selling price of the downstream user industry and after verifying the same, considered the impact of anti-dumping duties on the prices provided by the downstream user industry. However, in view of the significant variation in conversion cost, the Authority was not able to examine the share of the total raw material cost in the total cost of production of the downstream industry.
125. As regards the contention on disclosure of methodology used to arrive at the impact of the anti-dumping duty on the final end consumers, the Authority has relied on the information provided by the domestic industry as they have submitted impact of anti-dumping duty on the end user industry. The information regarding prices was part of the application filed by the domestic industry and was shared with the user industry.
126. Regarding the submissions made by the other interested parties with respect to the market share, it is noted that during the base year the imports accounted for *** % of the market share which after decline in the subsequent year, again increased in the year 2020 – 21 wherein the imports accounted for *** % of the market share which was significant. During the POI, even though the share of subject imports from China PR has declined, it accounts for a considerable share of the market.
127. Regarding the submissions made by the other interested parties with respect to the growth registered by the domestic industry during the POI, it is noted that in the year 2020 – 21, due to a shortage of raw materials, increase in prices of raw material, significant increase in low priced imports and shut down of the factory, growth parameters of the domestic industry had severely deteriorated. Consequently, a comparison of the parameters of the domestic industry's growth in the POI with year before it would be improper unless analysed in context of the entire injury period.
128. Regarding the submissions made by the other interested parties pertaining to erratic sources of supply, it is noted that in the year 2020 – 21, the production of the PUC had fallen due to a number of reasons. However, the vacuum created by the decline in production of the PUC was swiftly filled by the subject imports from the non – subject countries. This however, establishes the need to have a robust domestic industry to save the downstream industry from the shocks of erratic supply of raw materials for their end products.
129. The other interested parties have submitted that the domestic industry has been able to sell at non-injurious price. Due to the effect of the anti -dumping duties in place, the domestic industry has been able to achieve a selling price almost at a level of non – injurious price. It is further noted that non-injurious price is a notional price, which is determined based on the costs for a particular period, to examine whether the amount of anti-dumping duties lower than the dumping margin is sufficient to address the injury, the selling price is dependent on the market forces. Further, the injury to the domestic industry is determined by analysing the injury parameters as has been prescribed in the para 4 of Annexure II to the Rules.

130. As regards the submission of the user industry with respect to the co-relation between price undercutting and profitability of the domestic industry, it is noted that the Authority has already examined in the disclosure statement that there is no-correlation between these two. Further, on the submission of the domestic industry could have increased its prices, the Authority had also examined the transaction wise import data and found that majority of the subject imports are below the selling price and non – injurious price of the domestic industry.
131. The user industry has submitted that prices of the subject goods are priced higher when they are imported under duty free schemes. The Authority notes that no evidence has been brought by the user industry in support of its submission. The Authority has as per its consistent practice examined the imports in duty free and duty paid segment as a whole.

M. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

132. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and the facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- a. The applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the requirements under the Rules.
 - b. There is continued dumping of the subject goods from the subject country despite the anti-dumping duties in force. The dumping and injury margins are positive.
 - c. The volume of dumped imports has declined post imposition of the anti – dumping duties; however, the volume of imports remains significant.
 - d. The import price is below the selling price and cost of sales of the domestic industry. However, the anti- dumping duties in force have ensured that imports do not have any significant suppressing/depressing impact on the prices.
 - e. Production, capacity utilization, domestic sales and market share of the domestic industry have increased over the injury period.
 - f. The domestic industry's performance has improved in the period of investigation because of the extant anti-dumping duties.
 - g. The fact that the dumped imports continued even after imposition of duties shows a strong likelihood that if the duties were to be revoked the volume of subject imports will increase at a much higher rate.
 - h. It is seen that almost all exports from the subject country to third countries are at dumped prices.
 - i. It is seen that almost all exports from the subject country to third countries are at injurious prices.
 - j. The exports from the subject country to third countries are priced materially below the export price to India suggesting a strong likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duty. The Authority accordingly concludes that the Indian market offers lucrative prices to the producers from China.
 - k. In the absence of anti – dumping duties, adverse impact of the imports on the domestic industry prices would be significant.
 - l. If the domestic industry is forced to sell at price equivalent to the import price of the subject goods, without the anti-dumping duties, it will suffer financial losses, cash losses and a negative return on investment.
 - m. The producers in the subject country are expanding their capacities.
 - n. The Authority accordingly concludes that there is likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duties.
 - o. There is healthy competition in the Indian market and continuation of the anti-dumping duties would not deprive the user industry of any requirements.
 - p. The impact of anti-dumping duties on the eventual end consumers is insignificant.
133. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury.
134. Having concluded that there is likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required on the imports of the PUC from the subject country. The Authority examined as to what

quantum of duty be recommended which would mitigate the dumping/injury on account of likelihood analysis as conducted above. The volume of dumped and injurious imports from the subject country to India and to the rest of the world have been considered.

135. Under the aforesaid circumstances, the Authority considers it appropriate to recommend continuation of the existing quantum of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject country which would address and mitigate the likelihood of dumping and injury from the subject country. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of existing definitive anti-dumping duty imposed vide Notification No. 14/2018 - Cus (ADD), dated 21st March 2018. The producers which participated in the original investigation but did not respond in this review investigation have been considered non-cooperative and have been accordingly, accorded residual category of duty.
136. The Authority, thus, considers it appropriate and necessary to recommend continuation of definitive antidumping duty equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table below for a period of five (5) years on all imports of the subject goods from the subject country. Therefore, considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, antidumping duty equal to the amount indicated in Col 7 of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods, from the subject country for a further period of five (5) years.

Duty Table

S.N.	Heading/ Subheading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29211190 and 29211990	Mono isopropylamine	China PR	Any country including China PR	Any producer	620.00	MT	US \$
2	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any producer	620.00	MT	US \$

137. The landed value of subject imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

N. FURTHER PROCEDURE

138. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, (Designated Authority)